भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-101

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

विकेन्द्रीकृत वितरण उत्पादन योजना

***101. श्री राजेश कुमार दिवाकरः**
श्री रायपति सम्बासिवा रावः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति क्या है और देश के सभी गाँवों में विद्युत पहुँचाने हेतु निर्धारित की गई समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या सरकार नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से वन क्षेत्रों सहित पिछड़े, दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित गाँवों के विद्युतीकरण के लिए विकेन्द्रीकृत वितरण उत्पादन योजना को कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विकेन्द्रीकृत वितरण उत्पादन योजना के अंतर्गत अभी तक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार कितने गाँवों को शामिल किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आबंटित कुल निधि में से उक्त योजना के लिए आबंटित की गई धनराशि कितनी है;

(घ) क्या सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों सहित पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित गाँवों के विद्युतीकरण के संबंध में राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त हुए और स्वीकृति प्रदान किए गए प्रस्तावों तथा इस प्रयोजनार्थ जारी की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"विकेन्द्रीकृत वितरण उत्पादन योजना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 101 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 01.04.2015 को देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांव थे। इनमें से, दिनांक 06.02.2017 की स्थिति के अनुसार, 12033 गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। शेष गांवों को मई, 2018 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

(ख) से (ङ) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) पिछड़े, दूर-दराज के तथा गैर-पहुँच वाले क्षेत्रों और वन क्षेत्रों में स्थित गांवों सहित उन गैर-विद्युतीकृत गांवों/वासस्थलों को बिजली की पहुँच उपलब्ध करवाने के लिए है, जहां ग्रिड संबद्धता या तो व्यवहार्य नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है। डीडीजी नवीकरणीय स्रोतों जैसे कि बायोमास, बायो ईंधन, बायो गैस, लघु जल विद्युत एवं सौर से हो सकता है। दिनांक 31.01.2017 की स्थिति के अनुसार, 1354.60 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 4220 डीडीजी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिसमें पूरे देश के विभिन्न राज्यों में 3,285 गैर-विद्युतीकृत गांव शामिल हैं।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आबंटित कुल निधियों में से डीडीजी स्कीम के लिए निधियों का कोई विशिष्ट वर्ष-वार समर्पित आबंटन नहीं है। निधियां परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर जारी की जाती हैं।

डीडीजी के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीजी के अंतर्गत वितरित निधियां **अनुबंध-II** में दी गई हैं।

पिछड़े तथा गैर-पहुँच वाले क्षेत्रों तथा वन क्षेत्रों में स्थित गांवों सहित गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण के लिए रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) लिमिटेड द्वारा प्राप्त सभी प्रस्तावों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) को डीडीजी के अंतर्गत मंजूरी दे दी गई है। आरईसी लि. के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

****

अनुबंध-I

"विकेन्द्रीकृत वितरण उत्पादन योजना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 101 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) से (ङ) में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीजी के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

31.01.2017 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	कवर किए गए यूईवी	परियोजना लागत (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	427	0	87.88
2	असम	521	521	294.81
3	अरुणाचल प्रदेश	1176	1176	159.32
4	छत्तीसगढ़	946	520	296.97
5	झारखंड	382	393	196.18
6	कर्नाटक	39	9	28.11
7	केरल	15	0	5.32
8	मध्य प्रदेश	147	147	88.10
9	मेघालय	212	212	44.44
10	ओडिशा	276	275	97.02
11	तेलंगाना	39	0	9.26
12	उत्तर प्रदेश	25	17	38.84
13	उत्तराखंड	15	15	8.37
कुल		4220	3285	1354.6

****

अनुबंध-II

"विकेन्द्रीकृत वितरण उत्पादन योजना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 101 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) से (ङ) में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीजी के लिए संवितरित राज्य-वार और वर्ष-वार निधियां		
क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**संवितरित निधियां (रु. लाख में)**
	वित्तीय वर्ष 2013-14	
1	आंध्र प्रदेश	947.43
2	छत्तीसगढ़	935.66
3	उत्तराखंड	127.15
4	झारखंड	0
5	कर्नाटक	0
6	केरल	0
7	मेघालय	0
8	ओडिशा	0
9	राजस्थान	0
	उप-जोड़	**2010.24**
	वित्तीय वर्ष 2014-15	
1	आंध्र प्रदेश	139.17
2	छत्तीसगढ़	1312.60
3	मध्य प्रदेश	664.06
4	उत्तराखंड	148.34
	उप-जोड़	**2264.17**
	वित्तीय वर्ष 2015-16	
1	आंध्र प्रदेश	1225.95
2	छत्तीसगढ़	3203.09
3	कर्नाटक	529.74
4	उत्तर प्रदेश	1262.46
5	मध्य प्रदेश	393.23
6	असम	0
7	अरुणाचल प्रदेश	0
8	झारखंड	0
9	मेघालय	0
10	ओडिशा	0
	उप-जोड़	**6614.47**
	वित्तीय वर्ष 2016-17	
1	छत्तीसगढ़	5098.04
2	असम	8277.27
3	राजस्थान	2468.35
4	केरल	138.21
5	अरुणाचल प्रदेश	0
6	झारखंड	0
7	कर्नाटक	0
8	मेघालय	0
9	उत्तराखंड	0
10	ओडिशा	0
	उप-जोड़	15981.87
	सकल योग	**26870.76**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-107

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

चीन की कंपनियों हेतु एससीएडीए ठेके

***107. डॉ. जे. जयवर्धनः**

डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में चीन की कंपनियों ने 18 शहरों के लिए पर्यवेक्षक नियंत्रण और आंकड़ा अधिग्रहण (एससीएडीए) ठेके प्राप्त कर लिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इवानो-फ्रांकिवस्क क्षेत्र में विद्युत वितरण प्रणाली की विश्व की प्रथम पुष्टीकृत हैकिंग के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विद्युत उपकरण विनिर्माताओं ने चीन की कपंनियों द्वारा एससीएडीए प्रणाली में निरंतर प्रवेश किए जाने के कारण देश के पारेषण नेटवर्क को आसानी से हैक कर लिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या घरेलू विद्युत उपकरण निर्माताओं ने इस क्षेत्र में चीन के प्रवेश का विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"चीन की कंपनियों हेतु एससीएडीए ठेके" के बारे में लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 107 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पुडुचेरी की राज्य विद्युत यूटिलिटियों ने पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के अंतर्गत चीन की एक विधिवत् सूचीबद्ध कंपनी मैसर्स डोंगफेंग इलेक्ट्रॉनिक्स को 20 शहरों के सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वीशिजन सिस्टम (स्काडा) के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा है।

(ख) : इस संबंध में विद्युत मंत्रालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारतीय कंप्यूटर एजेंसी रेस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) ने एक मीडिया रिपोर्ट का उल्लेख किया है कि यूक्रेन में इवानो-फ्रैंकिव्स्क क्षेत्र में एक क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी ने दिनांक 23 दिसंबर, 2015 को बड़ी संख्या में ग्राहकों पर प्रभाव डालते हुए अनिर्धारित विद्युत बंदी का अनुभव किया। इसके पश्चात्, यह सूचित किया गया है कि ये विद्युत बंदियाँ संयंत्र प्रणालियों में स्पीयर फिशिंग और मालवेयर इंफेक्शन के माध्यम से साइबर हमले के कारण हुई थीं।

(ग) और (घ) : इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (आईईईएमए) ने चीन की कंपनियों के विरुद्ध शंकाएं व्यक्त की थीं।

(ङ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने मई, 2016 में विद्युत क्षेत्र में विद्युत उपस्करों की घरेलू अधिप्राप्ति के संबंध में केंद्र/राज्य यूटिलिटियों को सलाह जारी की जिसमें निम्नलिखित सलाह दी गई थी:

- घरेलू वित्तपोषित परियोजनाओं में उपस्करों/सामग्री की अधिप्राप्ति स्थानीय प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से घरेलू/स्थानीय विनिर्माताओं से होनी चाहिए। यदि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोली (आईसीबी) का सहारा लिया ही जाता है तो उल्लिखित मूल्य समान अवसर प्रदान किए जाने के लिए अनिवार्य रूप से केवल भारतीय रुपये में होना चाहिए।

- घरेलू विनिर्माण क्षमता के अभाव में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को निविदा प्रक्रिया में अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि भारतीय बोलीदाता के साथ संघ/संयुक्त उद्यम (जेवी) बनाया जाए और भारत में एक निश्चित समय-सीमा के भीतर विनिर्माण सुविधा स्थापित करनी होगी तथा चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण सुनिश्चित करना होगा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-109

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

गाँवों का विद्युतीकरण

***109. कुँवर भारतेन्द्र सिंहः**

श्री धनंजय महाडीकः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सभी के लिए चौबीस घंटे विद्युत उपलब्ध कराने के लिए सरकार की पहल के भाग के रूप में गत तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत किए गए गाँवों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या विद्युतीकृत गाँवों को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की माँग और आपूर्ति के बीच राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितना अंतर है;

(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण को ट्रैक करने के लिए गर्व एप आरंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की खराब आपूर्ति का एक कारण पारेषण प्रणाली में समस्या का होना है और यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत पारेषण प्रणाली को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 109 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत गांवों की संख्या निम्नलिखित हैः

क्रम सं.	वर्ष	उपलब्धि
1	वित्तीय वर्ष 2013-14	1,197
2	वित्तीय वर्ष 2014-15	1,405
3	वित्तीय वर्ष 2015-16	7,108

(ख) और (ग) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत वितरण तथा सतत एवं विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति संबंधित राज्य/विद्युत यूटिलिटियों की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार ने 24x7 विद्युत आपूर्ति प्रदान करने और राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त पहल की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, क्षेत्रीय विद्युत समितियों के माध्यम से राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर, देश के सामने अप्रैल से दिसंबर, 2016 के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में 0.7% का मांग आपूर्ति अंतराल और व्यस्ततम के संदर्भ में 1.6% का मांग आपूर्ति अंतराल था।

(घ) : रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ने "गर्व" ऐप का एक अद्यतनीकृत रूपांतर शुरू किया है। घरों एवं वासस्थलों के विद्युतीकरण का अतिरिक्त मॉनीटरिंग तंत्र राज्यों द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर मौजूदा प्लेटफॉर्म में जोड़ा गया है।

(ङ) : सतत एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति संबंधित राज्यों/विद्युत यूटिलिटियों की जिम्मेदारी है। तथापि, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण प्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रणाली सुदृढ़ीकरण हेतु 9601.87 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-115

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

पारंपरिक प्रकाश बल्बों की बिक्री

***115. श्री एस. आर. विजय कुमारः**
श्री टी. राधाकृष्णनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पारंपरिक प्रकाश बल्बों की वार्षिक औसत बिक्री का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उच्च वोल्टेज के बल्बों से शुरुआत करके इन प्रकाश बल्बों के उत्पादन और बिक्री पर क्रमिक रोक लगाकर इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने और उपभोक्ताओं को ऊर्जा कुशल विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस कदम से प्रभावित होने वाले प्रकाश बल्बों के निर्माताओं को मुआवजा प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में ऊर्जा कुशल बल्बों/लैम्पों का उपयोग करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"पारंपरिक प्रकाश बल्बों की बिक्री" के बारे में लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 115 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : इलेक्ट्रिक लैम्प कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ईएलसीओएमए) से प्राप्त सूचना के अनुसार पारपंरिक प्रकाश बल्बों की औसत बिक्री लगभग 770 मिलियन बल्ब है।

(ख) : वर्तमान में उत्पादन और बिक्री पर धीरे-धीरे प्रतिबंध लगाकर प्रकाश बल्बों को चरणबद्ध रूप से हटाने की कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) : सभी के लिए वहनीय एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) तथा स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) नामक राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम 2015 में शुरू किए गए हैं, जिनका कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा किया जा रहा है। 31.03.2019 तक उजाला स्कीम के तहत 77 करोड़ प्रकाश बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब लगाने तथा एसएलएनपी के तहत देश में सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में 3.5 करोड़ स्ट्रीट लाइटें लगाने का लक्ष्य है।

ईईएसएल ने एक नया व्यापार मॉडल विकसित किया है जिसमें इन कार्यक्रमों में संपूर्ण निवेश ईईएसएल द्वारा किया जाता है और वह निवेश ऊर्जा बचतों से एक समयावधि में वापस किया जाता है। इस स्कीम में भारत सरकार की ओर से सब्सिडी नहीं है।

दिनांक 06.02.2017 की स्थिति के अनुसार, ईईएसएल द्वारा उजाला स्कीम के तहत लगभग 20.60 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं और एसएलएनपी के तहत 16.80 लाख स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइटें लगाई जा चुकी हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1154

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

सीपीएसई के भवनों की ऊर्जा लेखापरीक्षा

1154. श्री बैजयंत जे पांडाः

क्या **विद्यqत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को सीपीएसई के परिसरों/भवनों में ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रारंभ कराने और ऊर्जा उपभोग को कम करने हेतु कदम उठाने के लिए कोई परामर्श जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित सीपीएसई के द्वारा इस परामर्श का किस हद तक पालन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सचिवों के समूह (जीओएस) की सिफारिशों के मद्देनजर कोई ऐसा परामर्श जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को ऐसी कोई सलाह जारी नहीं की है। तथापि, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और एनर्जी एर्फिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) केंद्र सरकार/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के भवनों में ऊर्जा जांच तथा ऊर्जा दक्षता सुधारों में सहायता कर रहे हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1180

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन और वितरण कंपनियां

1180. श्री रोड़मल नागरः
श्री आलोक संजरः
श्री जुगल किशोरः
श्री जनार्दन मिश्रः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन और उसके वितरण में लिप्त सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों की निगरानी के लिए कोई केन्द्रीय एजेंसी स्थापित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस एजेंसी के संज्ञान में इन कंपनियों के विरुद्ध कितने अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक कितने मामले सुलझाए गए हैं और इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या देश में ट्रांसफॉरमर को जांचने की सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : विद्युत मंत्रालय के अधीन केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) की बेंगलुरू, भोपाल और हैदराबाद में ट्रांसफार्मर टेस्टिंग सुविधाएं हैं। जहाँ आवश्यक होता है। सीपीआरआई टेस्टिंग सुविधाओं को निरंतर अपग्रेड करता है और संवर्द्धन करता है। वर्तमान में देश में 4 भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मान्यताप्राप्त एनएबीएल (नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज) अनुमोदित वितरण ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लैब [सीपीआरआई में 2 तथा इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन (ईआरडीए) में 2] हैं।
देश में टेस्ट सुविधाओं का संवर्द्धन रने/अपग्रेड करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय ने 2 अतिरिक्त 2500 एमवीए शॉर्ट सर्किट जेनरेटर संस्थापित करके ट्रांसफार्मरों की टेस्टिंग के लिए सीपीआरआई में टेस्टिंग सुविधाओं के अपग्रेडेशन को अनुमोदित किया है जो 315 एमवीए/220 केवी क्षमता और 240 एमवीए/400 केवी क्षमता तक के ट्रांसफार्मरों की टेस्टिंग को सक्षम बनाएगा।

ii. नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री (एनटीपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन, पावरग्रिड, डीवीसी और सीपीआरआई का एक संयुक्त उद्यम) बीना, मध्य प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन हैं जो 765 केवी वोल्टेज क्लास श्रेणी तक के ट्रांसफार्मरों की टेस्टिंग की सुविधा प्रदान करेगी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1211

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

केरल में विद्युत दर

1211. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आने वाली गर्मियों के दौरान विद्युत की कमी को दूर करने के लिए क्या केंद्र सरकार ने केरल को कम दर पर विद्युत आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त राज्य से विद्युत की कमी से उत्पन्न संकट की स्थिति से निपटने के लिए कोई निवेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन और पारेषण कंपनियों का प्रशुल्क केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा विनयमित किया जाता है जबकि राज्य के भीतर उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए प्रशुल्क राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है। विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है और राज्य विद्युत संकट से निपटने के लिए अपनी योजना बनाते हैं। यदि राजय इस प्रकार की विद्युत के लिए मांग करता है तो केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पादन इकाइयों से विद्युत के आवंटन के जरिए उनकी सहायता करती है।

(ग) और (घ) : केरल सरकार ने केरल को 01.03.2017 से 300 मेगावाट 24 घंटे तथा 100 मेगावाट व्यस्ततम विद्युत के प्रचालनीकरण के लिए उपलब्ध पारेषण क्षमता (एटीसी) आवंटित करने का अनुरोध किया है। यह मामला विचाराधीन है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1223

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

सभी घरों तक बिजली

1223. श्री टी.जी. वेंकटेश बाबूः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2019 तक सभी घरों को बिजली प्रदान करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) सरकार द्वारा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान तय किए गए लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में ऐसे गांवों/घरों की संख्या कितनी है, जिन्हें आज की तिथि के अनुसार विद्युतीकृत किया गया है और जिन्हें अब भी बिजली की प्रतीक्षा है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने "सभी के लिए 24 घंटे विद्युत" के लिए राज्यों के साथ एक संयुक्त पहल की शुरुआत की है।

(ग) और (घ) : विगत 3 वर्षों के दौरान गाँवों के विद्युतीकरण तथा बीपीएल घरों को विद्युत के नि:शुल्क कनेक्शन देने के संबंध में निर्धारित लक्ष्य और समनुरूपी उपलब्धि नीचे दी गई है:

वर्ष	विद्युतीकृत गाँव		बीपीएल घरों को कनेक्शन	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2013-14	3300	1197	20.00 लाख	9.62 लाख
2014-15	1900	1405	15.00 लाख	7.59 लाख
2015-16	5686	7108	14.00 लाख	14.39 लाख

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत गाँव थे इनमें से 12,033 गाँवों को 06.02.2017 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत कर दिया गया है। शेष गाँवों को मई, 2018 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1229

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलाप

1229. श्री गणेश सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम (पीएसयू) द्वारा व्यय की गई धनराशि का पीएसयू-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण, शौचालयों के निर्माण, पिछड़े क्षेत्रों के विकास और एनजीओ/न्यासों/समितियों के लिए प्रत्येक पीएसयू द्वारा आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीएसआर नीति और नियमों से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने के मामले केंद्र सरकार की जानकारी में आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने सीएसआर के अंतर्गत उक्त सरकारी क्षेत्र के संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों तथा कंपनियों हेतु व्यय की गई धनराशि की समपरीक्षा कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विगत तीन वर्षों के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा व्यय की गई निधियों के ब्यौरे, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आबंटित निधियां शौचालयों के निर्माण, पिछड़े क्षेत्रों तथा एनजीओ/ट्रस्टों/सोसायटियों के विकास के लिए आबंटित निधियां शामिल हैं, के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ग) : सीपीएसई द्वारा सीएसआर नीति और नियमों से संबंधित दिशा-निर्देशों की अनुपालना न किए जाने का कोई भी मामला सूचित नहीं किया गया।

(घ) : जी हाँ। सीएसआर पर पीएसयू द्वारा व्यय की गईं निधियों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1229 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

क्रम सं.	सीपीएसयू का नाम	कुल सीएसआर निधि व्यय (रु. करोड़ में)			के लिए सीएसार निधि व्यय (रु. करोड़ में)			
		2013-14	2014-15	2015-16	एससी/एसटी/ओबीसी का कल्याण	शौचालयों का निर्माण	पिछड़े क्षेत्रों का विकास	एनजीओ/ट्रस्ट/सोसायटी
1	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	15.79	29.09	13.35	11.47	11.00	33.43	टीएचडीसीआईएल के सीएसआर कार्यकलाप दो कंपनी अर्थात "सेवा-टीएचडीसी" और "टीएचडीसी ऐजुकेशन सोसायटी" के माध्यम के किए जा रहे हैं।
2	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड#	46.52	51.68	195.52	48.80	195.03	44.72	शून्य
3	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	16.48	24.83	28.88	सभी वित्तीय वर्षों में सीएसआर कार्यक्रमों में किए गए व्यय में एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण के लिए व्यय शामिल हैं।	21.85	9.89	20.54
4	एनटीपीसी लिमिटेड	128.35	205.18	491.8	सीएसआर के अंतर्गत एससी/एसटी, ओबीसी और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से निधि आबंटित नहीं की जाती। सीएसआर कार्यकलापों के लगभग 25% लाभार्थी एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के होते हैं।	285 (2013-16 के लिए)	सीएसआर के अंतर्गत एससी/एसटी, ओबीसी और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से निधि आबंटित नहीं की जाती। सीएसआर कार्यकलापों के लगभग 25% लाभार्थी एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के होते हैं।	22 (2013-16 के लिए)
5	नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	5.96	9.60	10.30	6.30	6.44	4.87	8.23

6	**राष्ट्रीय जल विद्युत निगम**	31.88	52.24	72.68	विभिन्न सीएसआर कार्यकलापों के लिए परियोजना/विद्युत स्टेशनों को, जो निधि आवंटित हुई थी, उसमें एससी/एसटी/ओबीसी लाभार्थियों का कल्याण शामिल था। बहुत-सी परियोजनाएं एसटी अधिकता वाले जनसंख्या क्षेत्रों हैं, जहां निगम द्वारा सीएसआर कार्यकलाप किए जा रहे हैं। तथापि, एससी/एसटी/ओबीसी लाभार्थियों के लिए आवंटित विशिष्ट निधि सहित कोई कार्यकलाप नहीं किए गए केवल योजना बनाई गई है।	82.53	विभिन्न सीएसआर कार्यकलापों के लिए परियोजनाओं/विद्युत केंद्रों/इकाइयों/अन्य स्थलों को, जो निधि आवंटित की गई थी, उसमें पिछड़े क्षेत्रों के पास वाली परियोजनाएं भी शामिल हैं।	1.00 वित्तीय वर्ष 2013-14 में (सेवा टीएचडीसी)
7	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड	38.40	103.25	128.20	45.42	157.03	35.34	शून्य
8	**पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड**	21.66	47.42	115.78	पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं	64.47 (लगभग)	पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं	6.86

वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक के लिए शेष 5.17 करोड़ रु. सीएसआर प्रशिक्षण और प्रशासनिक ओवरहैड के लिए व्यय किए गए। कुल व्यय की गई सीएसआर निधि में पीडब्ल्यूडी और सफाई कर्मचारी के कल्याण के लिए 2.90 करोड़ रुपए शामिल हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1235

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों में पानी का उपयोग

1235. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ताप विद्युत संयंत्रों में पानी के उपयोग की समीक्षा करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार पहले ही पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना संख्या 3305(ई) के तहत संशोधित पर्यावरण संरक्षण 1986 नियम अधिसूचित कर चुकी है जिसमें ताप विद्युत संयंत्रों के लिए जल खपत के नए मानदंड शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 28.01.2016 को नई प्रशुल्क नीति अधिसूचित की है जिसमें यह अधिदेशित है कि नगरपालिका/स्थानीय निकायों/इसी प्रकार के संगठन के सीवेज उपचार संयंत्र के 50 किमी के दायरे के भीतर स्थित मौजूदा संयंत्रों सहित ताप विद्युत संयंत्र अनिवार्यत: सीवेज उपचार संयंत्र की समीपता के क्रम में इन निकायों द्वारा उत्पादित उपचारित सीवेज जल का प्रयोग करेंगे और इस कारण संबद्ध लागत प्रशुल्क में पास थ्रू करने की अनुमति दी जाएगी।

(ख) : जी, नहीं।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1241

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

नए जल विद्युत संयंत्रों हेतु प्रस्ताव

1241. श्री राजू शेट्टीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त किए गए अनेक प्रस्ताव लंबित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जल विद्युत उत्पादन स्टेशन स्थापित करने की इच्छुक उत्पादन कंपनी को 1,000 करोड़ रुपये और इससे अधिक के पूंजीगत व्ययवाली योजनाओं के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति प्राप्त करनी अपेक्षित है।

वर्तमान में कुल 6,204 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 8 जल विद्युत योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति प्राप्त करने/मूल्यांकन के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वे (जीआईएस), केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएसएमआरएस) तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) के विभिन्न मूल्यांकन समूहों में जाँचाधीन है। इन परियोजनाओं की स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में एक सतत् प्रक्रिया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1241 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

जांचाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

क्रम सं.	स्कीम/एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	क्षेत्र	राज्य	स्थिति
1.	जेलम टमक/ टीएचडीसीआईएल	108	केंद्रीय	उत्तराखंड	डीपीआर की जांच की गई है और लगभग सभी दृष्टियों से स्वीकृति दे दी गई है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्री के दिनांक 08.11.2015 के अर्धशासकीय पत्र को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय की ई-प्रवाह संबंधी अधिकार-प्राप्त समिति की रिपोर्ट नहीं होने के कारण योजना के लिए सहमति नहीं दी जा सकी।
2.	बोवाला नंद प्रयाग/ यूजेवीएनएल	300	राज्य	उत्तराखंड	डीपीआर की जांच की गई है और लगभग सभी दृष्टियों से स्वीकृति दे दी गई है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्री के दिनांक 08.11.2015 के अर्धशासकीय पत्र को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय की ई-प्रवाह संबंधी अधिकार-प्राप्त समिति की रिपोर्ट नहीं होने के कारण योजना के लिए सहमति नहीं दी जा सकी।
3.	डगामारा/ बीएसएचपीसीएल	130	राज्य	बिहार	सहमति बैठक दिनांक 20.03.2013 को आयोजित की गई थी। तथापि, विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत उच्च परियोजना लागत एवं प्रशुल्क के कारण परियोजना को सहमति नहीं दी जा सकी। विकासकर्ता को बाढ़ नियंत्रण के कारण आबंटन लागत के संबंध में स्पष्टीकरण देना है परंतु **विकासकर्ता उत्तर नहीं दे रहा है।**
4.	उम्नगोट/ एमसीपीजीसीएल	210	राज्य	मेघालय	विभिन्न मूल्यांकन समूहों ने अपनी टिप्पणियां जारी की हैं। तथापि, **विकासकर्ता** बार-बार अनुस्मारक भेजने के बाद भी टिप्पणियों का **अनुपालन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।**
5.	मागो चू/ एसएमसीपीसीएल	96	निजी	अरुणाचल प्रदेश	डिजाइन और लागत पहलुओं की सीईए/सीडब्ल्यूएस/जीएसआई/ सीएसएमआरएस में जांच की जा रही है। तथापि, **विकासकर्ता** विभिन्न मूल्यांकन समूहों द्वारा जारी की गई टिप्पणियों का **अनुपालन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।**
6.	अट्टुनली/ एएचईपीसीएल	680	निजी	अरुणाचल प्रदेश	डीपीआर की लगभग सभी दृष्टिकोणों से स्वीकृति दे दी गई है और **सहमति बैठक फरवरी/मार्च, 2017 में आयोजित किए जाने की संभावना है।**
7.	सुबानसिरी मिडिल (कमला)/ केएचईपीसीएल	1800	निजी	अरुणाचल प्रदेश	डिजाइन पहलू स्वीकृत हैं। लागत पहलु सीईए/सीडब्ल्सी में जांचाधीन हैं और **सहमति बैठक मार्च/अप्रैल, 2017 में आयोजित किए जाने की संभावना है।**
8.	दिबांग/एनएचपीसी	2880	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	डीपीआर नवंबर, 2016 में प्रस्तुत कर दी गई। डिजाइन और लागत पहलु सीईए/सीडब्ल्सी में जांचाधीन हैं और **सहमति बैठक मार्च/अप्रैल, 2017 में आयोजित किए जाने की संभावना है।**
	कुल	**6204**			

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1258

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

सभी नागरिकों हेतु विद्युत आपूर्ति

1258. श्री आधलराव पाटील शिवाजीरावः

श्री अनूप मिश्राः

श्रीरंग आप्पा बारणेः

डॉ. भोला सिंहः

श्री आनंदराव अडसुलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार 2019 तक सभी नागरिकों/प्रतिष्ठानों को विश्वस्तरीय तथा गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति प्रदान करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के साथ सभी के लिए सातों दिन और चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) क्या अधिकांश राज्य अत्यधिक ऋण में डूबे हैं तथा सभी को सातों दिन और चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति करने में असमर्थ हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा सभी को सातों दिन और चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति करने हेतु राज्य सरकारों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या क्षेत्र की प्रचालन व्यवहार्यता से निपटने में केन्द्रीय क्षेत्र की एजेंसियों की भूमिका बढ़ गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा क्षेत्र-वार संभावित व्यावहारिक आरंभण योजनाओं के विकास तथा सातों दिन और चौबीसों घंटे पीएफए कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य की विद्युत कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता का गहन विश्लेषण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से 2022 तक सभी के लिए 24 घंटे विद्युत उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल शुरू की है।

आज की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने केंद्र सरकार के साथ सभी के लिए 24 घंटे विद्युत दस्तावेज हस्ताक्षरित किए हैं।

(ग) से (ङ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। भारत सरकार सभी के लिए 24 घंटे विद्युत हासिल करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) आदि विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्य सरकारों की पहल के लिए सहायता करती है। भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय पुनर्गठन और प्रचालनात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरुआत की है। अभी तक 20 राज्य और 1 संघ राज्य क्षेत्र इस योजना में शामिल हो गए हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1265

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

संस्थापित क्षमता का उपयोग

1265. श्री अशोक महादेवराव नेतेः
एडवोकेट जोएस जॉर्जः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के ताप विद्युत संयंत्रों सहित अन्य विद्युत संयंत्र अपनी-अपनी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने में सक्षम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी ताप विद्युत संयंत्र का अभी भी कम उपयोग हो रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान अब तक का पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने में सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के अंतर का अब तक का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास इन संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : अवधि (अप्रैल-अक्तूबर, 2016) के लिए ताप विद्युत इकाइयों का वर्तमान संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) 59.64% रहा है।

(ग) : विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में पूर्ण संस्थापित क्षमता का उपयोग करने में अंतर का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) और (ङ) : इन संयंत्रों में संस्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

i. देश में स्ट्रैंडेड गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता को पुनः चालू करने और उपयोग में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए पीएसडीएफ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) की सहायता से एक स्कीम संस्वीकृत की है। इस स्कीम में, रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए, स्ट्रैंडेड गैस आधारित संयंत्रों तथा घरेलू गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों को आयातित पुनःगैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की आपूर्ति किए जाने की परिकल्पना है।

ii. राज्य डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक एवं वित्तीय दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय टर्न-अराउंड तथा प्रचालनात्मक सुधार की एक स्कीम उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) अनुमोदित की है, जिससे वे उत्पादकों से और अधिक विद्युत की खरीद कर पाएंगे और इस प्रकार उनके संयंत्र भार कारक में वृद्धि होगी।

iii. पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने तथा लाइन की हानियों को कम करने के लिए उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण और कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत कार्यान्वयन।

iv. राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से की गई "सभी के लिए 24x7 विद्युत" पहल से, विद्युत के लिए पहुंच में वृद्धि होगी तथा तदनुसार, विद्युत की मांग में भी वृद्धि होगी जिससे विद्युत उत्पादन के उपयोग में वृद्धि होगी। 36 में से 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए योजनाएं पहले ही तैयार कर ली गई हैं तथा कार्यान्वयनाधीन है।

v. 12वीं योजना अवधि के दौरान, सितंबर, 2016 तक कुल 3000 मेगावाट की अकुशल ताप विद्युत उत्पादन क्षमता को बंद कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, और अधिक दक्ष संयंत्रों का बेहतर उपयोग होगा।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1265 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत स्टेशनों का पीएलएफ

	लक्ष्य	वास्तविक	क्षेत्र-वार-वास्तविक			
	(%)	(%)	केंद्रीय	राज्य	निजी	
					यूटिलिटी	आईपीपी**
12वीं योजना						
2012-2013	69.95	69.93	79.18	65.54	75.69	62.16
2013-2014	69.63	65.55	76.11	59.06	68.67	61.42
2014-2015	65.52	64.46	73.96	59.83	65.07	60.20
2015-2016	64.35	62.29	72.52	55.41	59.00	60.59
2016-2017 (अप्रैल-जनवरी, 2017*)	60.73	59.72	71.12	53.91	58.14	63.31

* अनंतिम।

** निजी क्षेत्र आईपीपी का पीएलएफ अप्रैल, 2009 से रिपोर्ट के 18वें कॉलम में समाहित कर दिया गया।

टिप्पणी: केवल सीओडी की घोषणा के बाद 25 मेगावाट और उससे अधिक के कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत स्टेशनों के लिए पीएलएफ।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1276

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा विद्युत संयंत्र

1276. श्री राम कुमार शर्माः

श्री जे. सी. दिवाकर रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के अंतर्गत विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और विद्युत उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा उनके द्वारा विद्युत संयंत्र-वार वास्तविक रूप से विद्युत का कितना उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या एनटीपीसी वर्तमान में अपने विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संयंत्रों की मूल निर्माण लागत कितनी है और आधुनिकीकरण की संयंत्र-वार लागत कितनी है;

(ग) इन संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा में अनुमानित कितनी वृद्धि हुई है और आधुनिकीकरण के पश्चात् विद्युत उत्पादन की लागत में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) क्या केंद्र सरकार ने देश में भविष्य की विद्युत आवश्यकताओं का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अतिरिक्त विद्युत के उत्पादन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के अधीन विद्युत संयंत्रों का अपेक्षित ब्यौरा और विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा उनके द्वारा उत्पादित की जा रही विद्युत की वास्तविक मात्रा **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) और (ग) : एनटीपीसी ने जरूरत आधारित पुनरूद्धार योजनाएं अपनाई हैं जिनका उद्देश्य अपने पुराने विद्युत संयंत्रों में अप्रचलित प्रौद्योगिकीयों के मुद्दों का समाधान करना, सांविधिक/पर्यावरण मानदण्डों का अनुपालन करना, घटकों का जीवनकाल विस्तार करना, मौजूदा निष्पादन स्तर को बनाए रखना इत्यादि है। योजनाएं जरूरत आधारित हैं और इनमें उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि की परिकल्पना नहीं की गई है। वर्तमान में किसी विद्युत संयंत्र का संपूर्ण विद्युतीकरण परिकल्पित नहीं किया जाता है।

(घ) : जी हां, सरकार ने 19वें इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वे (ईपीएस) के अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विद्युत खपत का अनुमान लगाया है। 2016-17 से 2021-22 के लिए वर्ष-वार अपेक्षित विद्युत का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। प्रारूप राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) के अनुसार, मार्च, 2022 तक संभावित उत्पादन क्षमता लगभग 523 गीगावाट (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावाट क्षमता शामिल है) होगी। इससे 2021-22 की व्यस्ततम मांग और ऊर्जा मांग पूरा होने की संभावना है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1276 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक सकल उत्पादन

क्रम सं.	**कोयला स्टेशन**	**सीईए उत्पादन लक्ष्य (एमयू) 2015-16**	**वास्तविक सकल उत्पादन (एमयू) 2015-16**
1	सिंगरौली	15150	16271
2	रिहंद	19750	21055
3	ऊंचाहार	7900	7013
4	टांडा	3250	3130
5	विंध्याचल	29017	31321
6	बदरपुर	3900	2241
7	दादरी	12800	10048
8	मौदा	4022	1876
9	कोरबा	19000	20429
10	सीपत	19950	22285
11	रामागुंडम	19550	20250
12	सिम्हाद्री	14600	14470
13	फरक्का	13400	12340
14	कहलगांव	14900	15275
15	बाढ़	4112	4785
16	तालचेर कनिहा	22400	23967
17	तालचेर थर्मल	3400	3764
18	बोंगाईगांव	496	117
	कुल कोयला स्टेशन	**227597**	**230636**
क्रम सं.	**सीसीजीटी स्टेशन**		
1	अंता	1200	942
2	औरैया	1900	1511
3	दादरी गैस	2300	2999
4	फरीदाबाद	1200	1101
5	कवास	1800	1212
6	झानोर गांधार	1650	962
7	कायमकुलम	500	143
	कुल सीसीजीटी स्टेशन	**10550**	**8870**
क्रम सं.	**सौर स्टेशन**		
1	दादरी	-	7.02
2	अंडमान व निकोबार	-	6.44
3	रामागुंडम	-	16.04
4	फरीदाबाद	-	6.85
5	तालचेर	-	13.23
6	ऊंचाहार	-	10.36
7	राजगढ़	-	82.76
8	सिंगरौली	-	19.89
	कुल सौर	-	**162.59**
	कोलडैम हाइड्रो	**890**	**2308**
	कुल एनटीपीसी	**239037**	**241977**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1276 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

2016-17 से 2021-22 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इलैक्ट्रिकल ऊर्जा आवश्यकता (एक्स-बस) (यूटिलिटियां) (एमयू)						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
अखिल भारत (इलैक्ट्रिकल ऊर्जा आवश्यकता	**11,60,429**	**12,40,760**	**13,17,962**	**13,99,913**	**14,83,257**	**15,66,023**

2016-17 से 2021-22 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यस्ततम ऊर्जा मांग (एक्स-बस) (यूटिलिटियां) (मेगावाट)						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
अखिल भारत (व्यस्ततम विद्युत मांग)	**161,834**	**176,897**	**188,360**	**200,696**	**213,244**	**225,751**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1293

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाएं

1293. श्री संजय धोत्रेः

डॉ. सत्यपाल सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र की विभिन्न संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं को चिन्हित किया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार इन परियोजनाओं में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार, कंपनी-वार कितनी धनराशि फंसी हुई है;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अन्य सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा अधिग्रहित की गई ऐसी परियोजनाओं का कंपनी-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बैंकों और नगदी से समृद्ध सरकारी क्षेत्र की कंपनियों से देश में ऐसे संकटग्रस्त परियोजनाओं में हिस्सेदारी खरीदने के लिए 'पुनर्निर्माण निधि' शुरू करने को कहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बैंकों/कंपनियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : समग्र रूप से 18420 मेगावाट की क्षमता वाली निर्माणाधीन 17 ताप विद्युत परियोजनाएं वित्तीय मुद्दों के कारण रूक गई। इन विद्युत परियोजनाओं की लागत तथा उन पर खर्च की गई राशि सहित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार, कंपनीवार तथा परियोजना/क्षमतावार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

कुल 11154.38 मेगावाट क्षमता वाली विभिन्न कारणों से संकटग्रस्त 17 गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

वित्तीय मुद्दों के कारण कुल 6329 मेगावाट की क्षमता वाली 20 संकटग्रस्त जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे राज्य, क्षमता, आज की तारीख तक व्यय, रूकने के कारण दर्शाते हुए **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

(ग) : विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, मैसर्ज तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड (टीयूएल) द्वारा सिक्किम में एक रूकी हुई जल विद्युत परियोजना अर्थात तीस्ता-III एचईपी (6x200=1200 मेगावाट), जो पहले निजी क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी, अगस्त 2015 में सिक्किम सरकार द्वारा टीयूएल में अपनी शेयरधारिता

26% से बढ़ाकर 51% करके अधिग्रहीत की गई थी। कार्य अक्तूबर 2015 में पुन: आरंभ किया गया था और इस समय इस परियोजना की 5 यूनिटें शुरू कर दी गई हैं तथा शेष यूनिटें मार्च 2017 तक शुरू किए जाने का कार्यक्रम है।

साथ ही, पीएफसी ने एक प्रमुख वित्तीय निवेशक (एफआई) के रूप में इस संगठन में छह ऋणदाताओं यथा - रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी), हाउसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (हुडको), नेशनल इंश्योरेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (एनआईसी), देना बैंक, आईएफसीआई लिमिटेड और इडेलवेइस एआरसी सहित प्रतिभूत शेयरों के आंशिक आमंत्रण तथा पीएफसी के इक्विटी में उप-ऋण के माध्यम से 1 जून, 2016 से श्री महेश्वर हाइडल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की 51% शेयरों की अधिकांश इक्विटी ले ली है।

(घ) और (ङ) : जी, हां। भारत सरकार ने 28.06.2016 को पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी) को संकटग्रस्त परिसंपत्ति इक्विटी निधि और संकटग्रस्त परिसंपत्ति सुधार निधि के सृजन की संभावना का पता लगाने के लिए कहा है।

(च) : सरकार ने इन संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) 204 कोयला ब्लॉकों को रद्द कर दिए जाने के बाद भारत सरकार ने उचित एवं पारदर्शी पद्धति से रद्द की गई कोयला खानों के पुन: आबंटन के लिए एक पारदर्शी नीति तैयार की है। सरकार ने अब तक नीलामी/आबंटन के माध्यम से लगभग 50,000 मेगावाट की क्षमता की सहायता करने वाले 49 ब्लॉकों का पुन: आबंटन सुनिश्चित किया है।

(ii) भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति के लिए पृथक ई-नीलामी विंडो आरंभ की है। यह विंडों उन विद्युत संयंत्रों की सहायता कर रही है जिनके पास कोयला लिंकेज नहीं है अथवा ईंधन प्राप्त करने के लिए पीपीए उपलब्ध न होने के कारण कोयला नहीं ले पा रहे हैं।

(iii) भारत सरकार ने उन केंद्रीय एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के विशिष्टीकृत अंतिम प्रयोग वाले संयंत्रों को ब्रिज लिंकेज प्रदान करने के लिए नीति-निर्देश अधिसूचित किए हैं जिन्हें कोयला खाने/ब्लॉक आबंटित किए गए हैं। इस नीति के अनुसार ब्रिज लिंकेज के आबंटन के लिए केंद्रीय एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सभी आवेदनों पर विचार किया गया है।

(iv) प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अधीन परियोजना मॉनीटरिंग ग्रुप (पीएमजी) बड़ी सार्वजनिक, निजी तथा पीपीपी परियोजनाओं की स्थापना तथा उन्हें शुरू करने और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए तेजी से अनुमोदन करने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के मुद्दों के समाधान के लिए एक संस्थागत तंत्र है।

(v) इन परियोजनाओं की समीक्षा समय समय पर विद्युत मंत्रालय तथा सीईए द्वारा भी की जाती है।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 'नीतिगत ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) स्कीम' संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस स्कीम के संदर्भ में, वित्तीय कठिनाइयों का समाधान कर रहे अर्थक्षम लेखों के लिए ऋणदाता ऋणों का पुनर्निर्माण करने पर विचार कर सकता है। आरबीआई ने भारी संकटग्रस्त लेखों के समाधान के लिए वैकल्पिक कार्य ढांचे के रूप में 'संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की संधारणीय पुनर्संरचना के लिए स्कीम' (एस4ए) भी तैयार की है। एस4ए में संकटग्रस्त ऋणी के लिए संधारणीय ऋण-स्तर का निर्धारण करने और बकाया ऋण को संधारणीय ऋण तथा इक्विटी/अर्ध-इक्टिवी घटकों में विभाजित करने की परिकल्पना है जिनसे ऋणी का आमूल परिवर्तन होने पर ऋणदाता को ऊपर उठाने की उम्मीद है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1293 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वित्तीय मामलों के कारण रुकी हुई निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी	एलओए तिथि	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की वास्तविक अनुसूची	चालू होने का अनुमानित अनुसूची	परियोजना की लागत (रु. करोड़ में)	व्यय (सीईए में उपलब्ध सूचना के अनुसार) (रु. करोड़)
		निजी क्षेत्र							
1	*आंध्र प्रदेश*	भवानापडु टीपीपी फेज-I/ईस्ट कोस्ट एनर्जी लि.	सितं-09	यू-1	660	अक्तू.-13	17-18	9343	3785
				यू-2	660	मार्च-14	18-19		
2	बिहार	जस इंफ्रा. टीपीएस/जेआईसीपीएल	मार्च-11	यू-1	660	अग.-14	19-20	11120	लागू नहीं
				यू-2	660	दिसं.-14	20-21		
				यू-3	660	अप्रै.-15	अनिश्चित		
				यू-4	660	अग.-15	अनिश्चित		
3	*छत्तीसगढ़*	अकलतारा टीपीपी (नैयारा)/केएसके महानदी पावर कंपनी लि.	अप्रै.-09	यू-3	600	दिसं.-12	17-18	22874	15543
				यू-4	600	अप्रै.-13	17-18		
				यू-5	600	अग.-13	17-18		
				यू-6	600	दिसं.-13	18-19		
4	*छत्तीसगढ़*	उचपिंडा टीपीपी/आरकेएम पावरजेन. प्रा. लि./एसजी-चीना वेस्टर्न टीजी-हबीन चीन	जुलाई-07	यू-3	360	फर.-13	मार्च-17	10377 (यूनिट-1 व 2 सहित)	10292 (यूनिट-1 व 2 सहित)
				यू-4	360	जुलाई-13	मई-17		
5	*छत्तीसगढ़*	सिंघीतराई टीपीपी जांजगीर (गांव) चंपा जिला/मैसर्स एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.	जून-11	यू-1	600	नवं.-14	मार्च-17	8443	6092
				यू-2	600	फर.-15	सितं.-17		
6	*छत्तीसगढ़*	बिंजकोट टीपीपी/एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	मार्च-11	यू-3	300	फर.-14	अनिश्चित	7940 (यूनिट-1 व 2 सहित)	3820 (यूनिट-1 व 2 सहित)
				यू-4	300	मई-14	अनिश्चित		
7	*छत्तीसगढ़*	देवेरी (वीसा) टीपीपी/वीसा पावर लि.	जून-10	यू-1	600	अग.-13	अनिश्चित	6190	2077
8	*झारखंड*	मैत्रिषी उषा टीपीपी फेज-I/ कारपोरेट पावर लि.	दिसं.-09	यू-1	270	मई-12	17-18	2900	3120
				यू-2	270	जून-12	17-18		
9	*झारखंड*	मैत्रिषी उषा टीपीपी फेज-II/ कारपोरेट पावर लि.	मार्च-11	यू-3	270	फर.-13	अनिश्चित	3182	2207
				यू-4	270	मार्च-13	अनिश्चित		
10	*झारखंड*	तोरी टीपीपी फेज-I/एस्सार पावर लि.	अग.-08	यू-1	600	जून-13	अनिश्चित	5700	3883
				यू-2	600	जन.-15	अनिश्चित		
11	*झारखंड*	तोरी टीपीपी फेज-II/एस्सार पावर लि.		यू-3	600	अक्तू.-17	अनिश्चित	2500	246
12	*महाराष्ट्र*	अमरावती टीपीपी फेज-II/रत्न इंडिया पावर प्रा. लि.	अक्तू-10	यू-1	270	जुलाई-14	20-21	6646	763
				यू-2	270	सितं.-14	21-22		
				यू-3	270	नवं.-14	21-22		
				यू-4	270	जन.-15	21-22		
				यू-5	270	मार्च-15	21-22		

13	*महाराष्ट्र*	नासिक टीपीपी फेज-II/रत्न इंडिया नासिक पावर प्रा. लि.	नवं.-09	यू-1	270	अप्रै.-13	अनिश्चित	6789	712
				यू-2	270	जून-13	अनिश्चित		
				यू-3	270	अग.-13	अनिश्चित		
				यू-4	270	अक्तू.-13	अनिश्चित		
				यू-5	270	दिसं.-13	अनिश्चित		
14	*महाराष्ट्र*	बिजोरा घनमुख टीपीपी/जिनभुविश पावर जेनरेशन प्रा. लि.	सितं.-11	यू-1	300	अक्तू.-17	अनिश्चित	3450	422
				यू-2	300	जन.-17	अनिश्चित		
15	*मध्य प्रदेश*	गोरजी टीपीपी/डी.बी. पावर (एमपी) लि.	मार्च-11	यू-1	660	जून-13	अनिश्चित	3941	476
16	*ओडिशा*	केवीके नीलांचल टीपीपी/केवीके नीलांचल	नवं.-09	यू-1	350	दिसं.-11	18-19	6000	1708
				यू-2	350	जन.-12	अनिश्चित		
				यू-3	350	मार्च-12	अनिश्चित		
17	*ओडिशा*	मलीब्राहमणी टीपीपी/एमपीसीएल	जून-10	यू-1	525	दिसं.-12	17-18	6330	5329
				यू-2	525	फर.-13	17-18		
				कुल	**18420**				

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1293 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

गैस की कमी, पीपीए और निधि की बाधा के कारण स्ट्रेस्ड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा

क. चालू की गई परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम और विकासकर्ता	चालू होने की स्थिति	क्षमता	अग्रणी उधारकर्ता	परियोजना का लागत (रु. करोड़)	व्यय* (रु. करोड़)	स्ट्रेस की मुख्य श्रेणी (यां)
1	आंध्र प्रदेश	गौतमी विद्युत परियोजना (जेवीके ग्रुप)	चालू की गई	464 मेगावाट	आईडीएफसी	1935	1685	• गैस की कमी
2	आंध्र प्रदेश	लैंको कोंडापल्ली सीसीपीपी लैंकों कोंडापल्ली पावर लि.	चालू की गई	1466 मेगावाट	एक्सिस बैंक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	• गैस की कमी
3	आंध्र प्रदेश	कोनासीमा गैस विद्युत परियोजना (कोनासीमा गैस पावर लि.)	चालू की गई	445 मेगावाट	आईडीबीआई	2035	2035	• गैस की कमी
4	आंध्र प्रदेश	जीवीके सीसीपीपी जीवीके इंडस्ट्रीज लि.	चालू की गई	220 मेगावाट	आईडीबीआई	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	• गैस की कमी
5	आंध्र प्रदेश	जेगुरूपडु एक्सटेंशन परियोजना (फेज-II) (जीवीके ग्रुप)	चालू की गई	220 मेगावाट	आईडीबीआई	उपलब्ध नहीं	483	• दक्षिणी क्षेत्र में पारेषण बाधाएं
6	आंध्र प्रदेश	जीएमआर राजमुंदरी एनर्जी लि.	चालू की गई	768 मेगावाट	आईडीबीआई	4840	220.42 (31.08.2016 की स्थिति के अनुसार आईडीबीआई बकाया)	• गैस की कमी

7	गुजरात	डीजीईएन मेगा पावर प्रोजेक्ट (टोरेंट पावर)	चालू की गई	1200 मेगावाट	एसबीआई	5500	5517	• पीपीए: 2 x 387 मेगावाट सहबद्ध • गैस की कमी
8	गुजरात	उनोसुजैन सीसीपीपी (टोरेंट पावर)	चालू की गई	382.5 मेगावाट	एसबीआई	1833	1803	• पीपीए: 278 मेगावाट सहबद्ध और 95 मेगावाट असहबद्ध • गैस की कमी
9	महाराष्ट्र	पायोनियर गैस पावर लि. (पायोनियर गैस पावर लि.)	चालू की गई	388 मेगावाट	आईएफसीआई	1776	1237	• गैस की कमी • पीपीए भाग हस्ताक्षरित
10	महाराष्ट्र	रत्नागिरी गैस विद्युत परियोजना, (रत्नागिरी गैस और पावर प्रा. लि.)	चालू की गई	2150 मेगावाट	आईडीबीआई	12786	1961 (31.08.2016 की स्थिति के अनुसार आईडीबीआई बकाया)	• गैस की कमी
11	उत्तराखंड	काशीपुर सीसीपीपी-I, ब्लॉक-1 (स्रावन्ती एनर्जी)	चालू की गई	225 मेगावाट	आईएफसीआई	1266	1088	• गैस की कमी
12	उत्तराखंड	गम्मा सीसीपीपी	चालू की गई	225 मेगावाट		1156	1058	• गैस की कमी
			कुल	**8153.5 मेगावाट**				

***** सीईए में उपलब्ध सूचना के अनुसार

ख. चालू की जाने वाली परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम और विकासकर्ता	चालू होने की स्थिति	क्षमता	अग्रणी उधारकर्ता	परियोजना का लागत (रु. करोड़)	व्यय* (रु. करोड़)	स्ट्रेस की मुख्य श्रेणी (यां)
1	आंध्र प्रदेश	पंडुरंगा सीसीपीपी (पंडुरंगा पावर)	चालू करने के लिए तैयार	116 मेगावाट	आंध्रा बैंक	647	730	• गैस की अनुपलब्धता
2	आंध्र प्रदेश	समलकोट विद्युत परियोजना (रिलायंस पावर)	परियोजना का कार्यान्वयन रोक दिया गया है।	2400 मेगावाट	आईडीबीआई	10500	8234	• गैस की कमी • निधि की बाधा
3	तेलंगाना	आस्था सीसीपीपी	2018-19	34.88 मेगावाट		214	107	• गैस की कमी
4	उत्तराखंड	बेटा सीसीपीपी (बीआईपीएल)	2016-17	225 मेगावाट	पीएनबी	1254	1186	• गैस की कमी • पीपीए नहीं
5	उत्तराखंड	काशीपुर सीसीपीपी-II, ब्लॉक-2 (स्रावंती एनर्जी)	2016-17	225 मेगावाट	आईएफसीआई	1300	911	• गैस की कमी • पीपीए नहीं • निधि की बाधा
			कुल	**3000.88 मेगावाट**				

***** सीईए में उपलब्ध सूचना के अनुसार

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1293 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

रूकी हुई निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम/निष्पादन एजेंसी/क्षमता (मेगावाट)/ अनुमानित लागत (रु. करोड़)	राज्य	चालू होने का संभावित समय	व्यय (आज की तिथि तक) (रू. करोड़ में)	रूकने के कारण	सरकार/विकासकर्ता द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदम
	केंद्रीय क्षेत्र					
1	लता तपोवन, एनटीपीसी लिमिटेड 3x57=171 मे.वा. 1527.00	उत्तराखंड	कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद	146	माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 07.05.2014 के आदेश के द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया।	मामला न्यायाधीन है।
2	*सुबानसिरी लोअर एनएचपीसी लिमिटेड 8x250=2000 मे.वा.* 17435.15	अरूणाचल प्रदेश/असम	कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद	8766.63	- बांध की सुरक्षा और बांध के अनुप्रवाही प्रभावों पर विभिन्न सक्रियतावादियों द्वारा आंदोलन करने पर, दिनांक 16.12.2011 से कार्य रुका। - मामला माननीय एनजीटी, कोलकाता बैंच में।	कार्यों का पुनरांभः माननीय विद्युत, कोयला एवं नीवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा माननीय कौशल विकास, उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), माननीय युवा मामले एवं खेल राज्य मत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने मामलों पर चर्चा करने के लिए 10.12.2014 को असम विशेषज्ञ दल के साथ तथा 11.12.2014 को सुबानसिरी लोअर परियोजना के विभिन्न पणधारकों के साथ बैठक की। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रोजेक्ट ओवर साइट कमेटी (पीओसी) के रूप में नामित असम विशेषज्ञ दल के 4 विशेषज्ञों तथा भारत सरकार के 4 विशेषज्ञों वाली समिति गठित की गई है, जो परियोजना से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए मार्गदर्शन/निरीक्षण करने तथा परियोजना कार्यान्वयन सहित उनके अनुपालन का निरीक्षण करने हेतु एक चालू समिति है। पीओसी सदस्यों द्वारा क्रमशः जनवरी/फरवरी, 16 में असम विशेषज्ञ दल तथा भारत सरकार के पीओसी सदस्यों से प्राप्त अलग रिपोर्टें प्रस्तुत की गई। **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी):** सुबानसिरी लोअर एचईपी से संबंधित मामले की माननीय राष्ट्रय हरित अधिकरण (एनजीटी), कलकत्ता द्वारा सुनवाई की जा रही है। 11 दिसंबर, 2015 को हुई सुनवाई में एनजीटी ने जनता और संपत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए आपातकालीन अनुरक्षण कार्य करने के लिए एनएचपीसी को अनुमति

						दी। तथापि, माननीय एनजीटी ने आदेश दिया कि परियोजना के लिए कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त, माननीय एनजीटी की इच्छानुसार पीओसी द्वारा प्रस्तुत दोनों रिपोर्टें विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 अप्रैल, 2016 को माननीय एनजीटी को प्रस्तुत कर दी गई हैं। एनजीटी में अगली सुनवाई 08 और 09 फरवरी, 2017 को होनी है। **असम सरकार के साथ एमओए हस्ताक्षरित करनाः** असम सरकार के साथ एमओए हस्ताक्षरित करना लंबित है।
	राज्य क्षेत्र					
3	कशांग- II व III एचपीपीसीएल 2x65 = 130 मे.वा. 1079.80 (कशांग-I एचईपी की लागत सहित) (1 इकाई पहले से ही चालू है)	हिमाचल प्रदेश	कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद	1011.84 (केशांग। एचईपी के व्यय सहित)	- एनजीटी में दो पृथक मामलों (एक पर्यावरण स्वीकृति का और दूसरा वन स्वीकृति का) के लंबित होने के कारण वर्ष 2011 से केके लिंक सुरंग का कार्य प्रारंभ न हो सका। पर्यावरण स्वीकृति के मामले का निर्णय एचपीपीसीएल के पक्ष में हुआ है, जबकि वन स्वीकृति के मामले में एनजीटी द्वारा निर्देश दिया गया है कि मामले को न्याय अधिकारी की उपस्थिति में ग्रामसभा के समक्ष रखा जाएगा। ग्राम सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने की तिथि से तीन माह के अंदर संपूर्ण कार्यवाही पूरी की जाएगी। तत्पश्चात, एचपीपीसीएल इसकी रिपोर्ट एनजीटी को प्रस्तुत करेगा। एचपीपीसीएल द्वारा एनजीटी के निर्णय को चुनौती देने वाला आवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसे अब हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देश पर दिनांक 08.09.2016 को वापिस ले लिया गया है।	मामला न्यायाधीन है।
4	शाहपुरकंदी इर. डिप., पीबी. एंड पीएसपीसीएल 3x33+3x33+1x8 =206 मे.वा. 2285.81	पंजाब	कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद	517.17	- पंजाब एवं जम्मू व कश्मीर सरकार के बीच के अंतर-राज्य विवादों के कारण दिनांक 30.08.2014 को बांध का कार्य (जेएंडके की तरफ का) रुका।	दिनांक 20.2.2015 को मुख्य सचिवों के स्तर की जम्मू में बैठक की गई। मामले का अभी समाधान किया जाना है।
5	थोट्टियार केएसईबी 1x30+1x10=40 मे.वा. 150.02	केरल	कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद	52.87	- कार्य नवंबर, 2015 से लगभग पूरी तरह से रुका हुआ है। संविदाकार ने अपनी वित्तीय कठिनाई के कारण	राज्य सरकार द्वारा कार्यों को पुनः अवार्ड करने में तेजी लाना।

					परियोजना के फोर क्लोजर का प्रस्ताव भेजा है तथा इससे संबंधित विस्तृत नोट अनुमोदनार्थ बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है। फोर क्लोजर का निर्णय लिया गया है तथा शेष कार्य खुली निविदा अथवा ओरंगल लेबर कांट्रैक्ट कॉपरेटिव सोसायटी जैसी सरकार से अनुमोदित निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से करवाने का पुनः प्रबंध किया जाए।	
6	पल्लिवसल केएसईबी 2x30=60 मे.वा. 284.69	केरल	कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद	183.70	- कार्य जनवरी, 2015 से लगभग पूरी तरह से रुका हुआ है। संविदाकार ने अपनी वित्तीय कठिनाई के कारण परियोजना के फोर क्लोजर का प्रस्ताव भेजा है तथा इससे संबंधित विस्तृत नोट अनुमोदनार्थ बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है। फोर क्लोजर का निर्णय लिया गया है तथा शेष कार्य खुली निविदा अथवा ओरंगल लेबर कांट्रैक्ट कॉपरेटिव सोसायटी जैसी सरकार से अनुमोदित निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से करवाने का पुनः प्रबंध किया जाए।	राज्य सरकार द्वारा कार्यों को पुनः अवार्ड करने में तेजी लाना।
7	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र सरकार 2x40=80 मे.वा. 1494.94	महाराष्ट्र	कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद	334.59	- परियोजना जुलाई, 2015 से रुकी। परियोजना पर वर्तमान व्यय पहले ही लगभग मूल प्रशासनिक अनुमोदित लागत स्तर पर पहुँच चुका है, अतः परियोजना पर व्यय रोक दिया गया है तथा परियोजना कार्य बहुत ही धीमी गति पर चल रहा है। संशोधित लागत पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन दिया जाना है।	राज्य सरकार द्वारा आरसीई के अनुमोदन में तेजी लाना
	निजी क्षेत्र					
8	महेश्वर श्री महेश्वर हाइडल पावर कारपोरेशन लिमिटेड 10x40= 400 मे.वा. 6793	मध्य प्रदेश	कार्यों के पुनः शुरू होने के 1-½ वर्ष बाद	3135	विकासकर्ता से नकद प्रवाह की समस्या के कारण कार्य नवंबर, 2011 से लंबित।	अपर मुख्य सचिव (वित्त) मध्य प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में परियोजना को पूरा करने के लिए रास्ता तलाशने हेतु 16 अक्तूबर, 2014 को उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट 02.05.2015 को प्रस्तुत की। महेश्वर परियोजना चालू करने के लिए तीन परिदृश्यों की सिफारिश की थी। पहले परिदृश्य के अंतर्गत वर्तमान निजी विकासकर्ताओं के साथ परियोजना को पूरा करने के अन्य प्रयास पर

						विचार किया गया है। पहले परिदृश्य की समय-सीमा (2 अगस्त, 2015) विकासकर्ता द्वारा इसकी अपेक्षाओं का पालन किए बिना बीत चुकी है। वर्तमान में, दूसरे परिदृश्य के अंतर्गत परियोजना के पुनरूद्धार की प्रक्रिया पर कार्य चल रहा है, जिसमें परियोजना कंपनी को निजी विकासकर्ता के साथ अल्पसंख्यक शेयरधारक के रूप में मानते हुए अधिग्रहीत करने के लिए सरकार कंपनियों पर विचार किया जाता है। तदनुसार, ऋणदाता सरकारी कंपनियां होने के नाते उप-ऋण को इक्विटी में बदल कर तथा बंधक शेयरों के द्वारा अधिकांश इक्विटी प्राप्त करने के लिए योजना बना रहे हैं।
9	तीस्ता VI लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लि. 4x125=500 मे.वा. 5400	सिक्कम	कार्यों के पुनः शुरू होने के 3 वर्ष बाद.	3144	अप्रैल, 2014 से लगभग कोई प्रगति नही हुई (वित्त संबंधी बाधाएं)।	परियोजना को पुनः शुरू करने के लिए रास्ता खोजने हेतु विभिन्न पणधारकों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। 17.8.2016 को आयोजित बैठक में राज्य सरकार उच्च स्तरीय समिति ने सिक्किम में रूकी हुई परियोजनाओं को पूएसयू द्वारा अधिकृत करने की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त सभी पणधारकों से परियोजना को शुरू करने हेतु अधिक विकल्पों की जांच करने के लिए अनुरोध किया गया था।
10	**रंगित-IV** जल पावर कार. लि. (जेपीसीएल) 3x40= 120 मे.वा. 1692.60	सिक्किम	कार्यों के पुनः शुरू होने के 2½ वर्ष बाद	816.76	विकासकर्ता से वित्त संबंधी बाधाओं के कारण कार्य अक्तूबर, 2013 से रुका।	परियोजना को शुरू करने के लिए रास्ता खोजने हेतु विभिन्न पणधारकों के वीच विचार-विमर्श किया जा रहा है। क्योंकि कंपनी के विकासकर्ता अतिरिक्त इक्विटी को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं हैं, इसलिए सिक्किम सरकार से परियोजना को पुनः चालू करने के लिए ऋणदाताओं द्वारा आगामी वित्त पोषण की सुविधा देने के लिए उनके इक्विटी स्टेक को 26% से बढ़ाकर 51% तक करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने सीपीएसयू द्वारा अधीनीकरण सहित अधिक विकल्पों की पुनः जांच करने के लिए अनुरोध किया है।
11	पनान हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि. 4x75 = 300 मे.वा. 2021.90	सिक्किम	कार्यों के पुनः शुरू होने के 4½ वर्ष बाद	156.50	एनजीटी स्वीकृति की प्रतीक्षा में, प्रमुख सिविल कार्य अप्रैल, 2014 से प्रारंभ नहीं हो सके।	मामला न्यायाधीन है। क्योंकि इस पर कोई स्टे नहीं है, विकासकर्ता द्वारा एनडब्ल्यूएलबी स्वीकृति मिलने के बाद कार्य शुरू करने की संभावना है।
12	रत्ले जीवीके रत्ले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रा. लि. 4x205+1x30=850मे.वा 6257	जम्मू एवं कश्मीर	कार्यों के पुनः शुरू होने के 5 वर्ष बाद	1451	दिनांक 11 जुलाई, 2014 से कोई प्रगति नहीं हुई (आरएंडआर मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या, सिन्धु जल संधि इत्यादि)।	विकासकर्ता ने पीपीए के शीघ्र समापन तथा परियोजना को अधिकृत करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार से अनुरोध किया है। सीईए ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार से दिनांक 26.10.2016 के पत्र के तहत राज्य सरकार का निर्णय भेजने का अनुरोध किया है।

13	टंगनु रोमई टंगनु रोमई पावर जेनरेशन 2x22=44 मे.वा. 255	हिमाचल प्रदेश	कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद	179	विकासकर्ता ने सूचित किया है कि मुख्य सुरंग में बहुत खराब भू स्थिति होने के कारण परियोजना को कठिनाई हुई जिससे परियोजना विलंबित हुई तथा लागत में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, वित्त संबंधी बाधाओं के कारण जनवरी, 2015 से कार्य रुका।	
14	सोरांग हिमाचल सोरांग पावर लि. 2x50=100 मे.वा. 586	हिमाचल प्रदेश	कार्यों के पुनः शुरू होने के 1 वर्ष बाद	उपलब्ध नहीं	जब यूनिट-2 का परीक्षण चालन हो रहा था, तब सरफेस पेनस्टॉक पाइप में दरार होने के कारण दिनांक 18.11.2015 से कार्य रुका हुआ है।	पेनस्टाक पाइप की मरम्मत हेतु मुआवजा पैकेज और निधियों की गणना विकासकर्ता द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त, मरम्मत कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अपेक्षित लागत की निधि देने के लिए बैंकरों के साथ बातचीत जारी है।
15	लोअर कलनई जेकेएसपीडीसी 2x24=48 मे.वा. 576.87	जम्मू एवं कश्मीर	कार्य शुरू होने के बाद लगभग 4 वर्ष	71.98	संविदाकर्ता के साथ वित्तीय मामलों के कारण कार्य रोक दिए गए हैं। संविदाकर्ता मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट लि. सीडीआर के अधीन है।	जेकेएसपीडीसी परियाजना पुनः शुरू करने के लिए रास्ता तलाश रहा है।

कुल = 15 (4984 मे.वा.)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित परियोजनाएं भी बाधित हैं:-

क्रम सं.	परियोजना का नाम/निष्पादन एजेंसी/क्षमता (मेगावाट)/अनुमानित लागत (रु. करोड़)	राज्य	चालू होने की संभावना	व्यय (आज की तारीख तक) (रु. करोड़)	बाधित होने के कारण
1	फाटा ब्यूंग मैसर्स लैंको 2x38=76 मे.वा. 1225.53	उत्तराखंड	3 वर्ष	865.99	- जून, 2013 में अचानक बाढ़ के कारण कार्य प्रभावित। - कार्य की धीमी गति। - समय एवं लागत आधिक्य के कारण उच्च प्रशुल्क।
2	सिंगेली भटवारी मैसर्स एलएंडटी 3x33=99 मे.वा. 1577	उत्तराखंड	3 वर्ष	919.36	- जून, 2013 में अचानक बाढ़ के कारण कार्य प्रभावित। - कार्य की धीमी गति। - समय एवं लागत आधिक्य के कारण उच्च प्रशुल्क।
3	गांगरी दिरांग एनर्जी प्रा.लि. 2x72=144 मे.वा. 1436.27	अरूणाचल प्रदेश	कार्यों के पुनः शुरू होने के 3½ वर्ष बाद	521.21	प्रवर्तक/ऋणदाताओं से वित्त प्रवाह समस्या के कारण अप्रैल, 2016 के द्वितीय सप्ताह से कार्य रुका। कार्य जुलाई, 2016 में पुनः प्रारंभ हुआ, परंतु वित्त संबंधी बाधाएं अभी भी हैं।
4	रंगित-II सिक्किम हाइड्रो पावर लि. 2x33=66मे.वा. 496.44	सिक्किम	कार्यों के पुनः शुरू होने के 3 वर्ष बाद	उपलब्ध नहीं	विद्युत निकासी तथा भूमि अधिग्रहण मुद्दों के कारण ऋणदाताओं द्वारा वित्त जारी न करने के कारण कार्य वर्ष 2014 से रुके। विकासकर्ता को परियोजना में इक्विटी डालनी है। इस दौरान, कंपनी का प्रवर्तक "गैम्मन इंडिया लि." सीडीआर के अंतर्गत है। अतः पीएफसी ऋण संवितरण करने में असमर्थ है। विकासकर्ता तथा ऋणदाताओं के बीच बातचीत चल रही है, तथापि, बैंकों द्वारा वित्त का संवितरण अभी नहीं किया गया है। विकासकर्ता ने सितंबर, 2016 से कार्य पुनः प्रारंभ किया।
5	पोलावरम पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी (12x80 = 960 मे.वा.) 16010.45	आंध्र प्रदेश	कार्यों के पुनः शुरू होने के 4 वर्ष बाद	7364.06	-कार्यों की धीमी प्रगति - ईएंडएम अभी अवार्ड किए जाने हैं। - एमओईएफ की इच्छानुसार, सुरक्षात्मक तटबंध के निर्माण के लिए जन सुनवाई ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में की जानी है।

कुल = 5 (1345 मे.वा.) **सकल योग = 20 (6329 मे.वा.)**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1298

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

जल विद्युत परियोजनाओं की नवीकरणीय स्थिति

1298. श्री बी. विनोद कुमारः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा का दर्जा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है जिससे विद्युत दरों को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : सरकार उपयुक्त हस्तक्षेपों के जरिए जल विद्युत प्रशुल्क को कम करके जल विद्युत को बढ़ावा देने और इसकी बिक्रयेता में सुधार लाने के मुद्दे से अवगत है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी जिसने पणधारकों से परामर्श किए थे और संपूर्ण विश्व में जल विद्युत में वैश्विक परिपाटियों की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। इस समिति की सिफारिशें 7-8 अक्तूबर, 2016 को वड़ोदरा में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई थीं और भागीदार राज्यों द्वारा सहमत संकल्प नीचे दिए गए हैं:

- सभी जल विद्युत (आकार का ध्यान रखे बिना) को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में घोषित करना जो निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगी:

  (i) सभी जल विद्युत को नवीकरणीय क्रय बाध्यता के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
  (ii) सभी जल विद्युत प्राथमिकता प्रेषण के लिए अर्हता प्राप्त करेंगी।

- नवीकरणीय ऊर्जा लाभ 100 मेगावाट तक की परियोजनाओं को प्रदान करना (पूर्व की 25 मेगावाट की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर)।
- कोयला उप-कर से 100 मेगावाट से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं को कम लागत ऋण देना।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1299

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा प्रायोजित पुल

1299. श्री रमेश बिधूड़ीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली में यमुना नहर के ऊपर एनटीपीसी द्वारा प्रायोजित लिंक ब्रिज का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ख) क्या इस पुल की लागत इसके निर्धारित समय-सीमा में पूरा नहीं होने के कारण बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माण एजेंसी के गैर-जिम्मेदार होने के कारण निर्माण कार्य में देरी हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार का व्यवहार सकारात्मक रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्माणाधीन पुल को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : आगरा नहर पर लिंक ब्रिज का निर्माण-कार्य दिनांक 02.02.2008 के समझौता-ज्ञापन द्वारा निक्षेप कार्य के रूप में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग (यूपीआईडी) को सौंपा गया था। यूपीआईडी ने दिसम्बर, 2011 से निर्माण-कार्य रोक दिया है। उपर्युक्त कार्य की मूल अनुमानित लागत 432.26 लाख रुपए थी जिसे फरवरी, 2009 में निर्माण अवधि के दौरान संशोधित करके 645.67 लाख रुपए किया गया था। एनटीपीसी ने मार्च, 2010 तक यूपीआईडी को 645.67 लाख रुपए का पूरा भुगतान कर दिया था। लागत वृद्धि सहित अंतिम लागत इस कार्य के पूरा होने के बाद ही जानी जा सकती है।

(ग) से (ङ) : उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि मैसर्स शारदा डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को पुल के निर्माण के लिए दी गई निविदा उसके द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता खराब पाए जाने के कारण रद्द कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि पुल के निर्माण के लिए आगे आवश्यक कार्रवाई प्रगति पर है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1305

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

जल विद्युत संयंत्र

1305. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडेः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री आनंद राव अडसुलः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विभिन्न तरीकों के माध्यम से जल विद्युत की लागत को कम करने के लिए कुछ जल विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा पर जोर देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों सहित कोई अध्ययन करवाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और इसके परिणाम क्या हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने अध्ययन के सभी निष्कर्षों की जांच कर ली है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर और क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च) : सरकार उपयुक्त हस्तक्षेपों के जरिए जल विद्युत प्रशुल्क को कम करके जल विद्युत को बढ़ावा देने और इसकी बिक्रयेता में सुधार लाने के मुद्दे से अवगत है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी जिसने पणधारकों से परामर्श किए थे और संपूर्ण विश्व में जल विद्युत में वैश्विक परिपाटियों की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। इस समिति की सिफारिशें 7-8 अक्तूबर, 2016 को वड़ोदरा में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई थीं और भागीदार राज्यों द्वारा सहमत संकल्प नीचे दिए गए हैं:

- सभी जल विद्युत (आकार का ध्यान रखे बिना) को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में घोषित करना जो निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगी:
  - (i) सभी जल विद्युत को नवीकरणीय क्रय बाध्यता के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
  - (ii) सभी जल विद्युत प्राथमिकता प्रेषण के लिए अर्हता प्राप्त करेंगी।
- नवीकरणीय ऊर्जा लाभ 100 मेगावाट तक की परियोजनाओं को प्रदान करना (पूर्व की 25 मेगावाट की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर)।
- कोयला उप-कर से 100 मेगावाट से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं को कम लागत ऋण देना।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1307

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत की मांग में कमी

1307. श्री लल्लू सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विद्युत की मांग अगले दस वर्षों में कम होने का अनुमान व्यक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भविष्य में उक्त मांग में गिरावट के क्या कारक चिन्हित किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी नहीं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निकाली गई 19वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016-17, 2021-22 और 2026-27 के लिए देश की वैद्युत ऊर्जा आवश्यकता (ईईआर) तथा व्यस्ततम मांग नीचे दी गई है:

वर्ष	वैद्युत ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	वैद्युत ऊर्जा आवश्यकता की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) (%)	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम मांग का सीएजीआर (%)
2016-17	1160429		161834	
2021-22	1566023	6.18	225751	6.88
2026-27	2047434	5.51	298774	5.77

(ख) और (ग) : उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1310

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन लागत और उपभोक्ता विद्युत प्रभार के बीच अंतर

1310. श्री अनंतकुमार हेगड़ेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या औसत विद्युत उत्पादन लागत और जिस कीमत पर उपभोक्ता विद्युत खरीदते है उसके बीच भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न स्त्रोतों के अनुसार औसत विद्युत उत्पादन लागत कितनी है और राज्य-वार न्यूनतम अधिकतम कीमत कितनी है, जिस पर प्रत्येक राज्य में उपभोक्ताओं को विद्युत बेची जाती है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : उत्पादन की लागत/उत्पादन प्रशुल्क तथा अंतिम उपभोक्ता को आपूर्ति की बिक्री कीमत/लागत के बीच अंतर होता है। यह इस तथ्य के कारण है कि अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति की लागत में उत्पादन प्रशुल्क के अतिरिक्त पारेषण प्रभार, पारेषण हानियाँ, वितरण नेटवर्क प्रभार, वितरण हानियाँ तथा वाणिज्यिक हानियाँ आदि शामिल होती हैं। केंद्रीय विद्यत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2014-15 के लिए ताप विद्युत, जल विद्युत और नाभिकीय विद्युत स्टेशनों के जरिए विद्युत उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत नीचे दी गई है:

विद्युत स्टेशन	**उत्पादन की औसत लागत (पैसा/केडब्ल्यू एच में)**
जल विद्युत	241
ताप विद्युत	333
नाभिकीय विद्युत	276

सीईए द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार विद्युत की उत्पादन लागत तथा उपभोक्ता खरीद कीमत की लागत का राज्य-वार और यूटिलिटी-वार अंतर **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1310 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

2014-15 के लिए विद्युत उत्पादन लागत और उपभोक्ता खरीद कीमत का ब्यौरा					
क्षेत्र	**राज्य**	**यूटिलिटी**	**वितरण कंपनी की विद्युत खरीद लागत/उत्पादन कंपनी की विद्युत उत्पादन लागत (रु./यूनिट में)**	**औसत उपभोक्ता खरीद कीमत/आपूर्ति की औसत लागत (रु./यूनिट में)***	**जीएपी (रु./यूनिट में)**
पूर्वी	बिहार	एनबीपीडीसीएल	4.23	5.11	0.88
		एसबीपीडीसीएल	4.21	4.79	0.58
	झारखंड	जेबीवीएनएल	4.32	4.68	0.36
	ओडिशा	सेसू	2.83	3.89	1.06
		नेसको	3.02	4.01	0.99
		सेसको	2.08	3.81	1.73
		वेसको	3.07	4.09	1.02
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	1.90	4.46	2.56
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	3.91	4.92	1.01
पूर्वोत्तर	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश पीडी	2.64	5.49	2.85
	असम	एपीडीसीएल	4.20	5.48	1.28
	मणिपुर	एमएसपीडीसीएल	3.52	4.51	0.99
	मेघालय	एमईपीडीसीएल	4.83	6.18	1.35
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	3.62	6.26	2.64
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	3.31	5.88	2.57
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	1.99	4.12	2.13
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	5.95	7.16	1.21
		बीएसईएस यमुना	6.38	7.78	1.40
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	4.32	4.90	0.58
		यूएचबीवीएनएल	4.37	5.41	1.04
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लि.	2.99	4.84	1.85
	जम्मू एवं कश्मीर	जे एंड के पीडीडी	3.75	4.20	0.45
	पंजाब	पीएसपीसीएल	2.58	4.89	2.31
	राजस्थान	एवीवीएनएल	4.11	6.41	2.30
		जेडीवीवीएनएल	4.04	5.93	1.89
		जेवीवीएनएल	4.00	5.84	1.84

	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	4.55	6.13	1.58
		केसको	4.58	6.03	1.45
		एमवीवीएन	3.99	5.49	1.50
		पूर्व वीवीएन	4.55	5.82	1.27
		पश्चि. वीवीएन	4.54	5.19	0.65
	उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	3.02	3.85	0.83
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल	4.46	5.66	1.20
		एपीएसपीडीसीएल	4.38	5.49	1.11
	कर्नाटक	बेसकॉम	3.97	4.60	0.63
		चेसकॉम	3.43	4.14	0.71
		गेसकॉम	3.24	4.33	1.09
		हेसकॉम	3.42	4.38	0.96
		मेसकॉम	3.54	4.73	1.19
	केरल	केएसईबी लि.	3.04	5.23	2.19
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	3.18	3.58	0.40
	तमिलनाडु	टीएएनईडीसीओ	3.59	6.47	2.88
	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल	4.50	5.58	1.08
		टीएसएसपीडीसीएल	4.40	5.23	0.83
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	3.25	4.15	0.90
	गोवा	गोवा पीडी	2.90	3.57	0.67
	गुजरात	डीजीवीसीएल	4.90	5.20	0.30
		एमजीवीसीएल	4.19	4.90	0.71
		पीजीवीसीएल	3.30	3.78	0.48
		यूजीवीसीएल	3.59	4.06	0.47
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	3.73	5.03	1.30
		एमपी पश्चिमी क्षेत्र वीवीसीएल	3.74	4.34	0.60
		एमपी पूर्वी क्षेत्र वीवीसीएल	4.12	5.13	1.01
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	4.36	5.15	0.79

* सब्सिडीरहित

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1313

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

सार्क देशों के साथ विद्युत व्यापार

1313. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत का विचार अन्य सार्क देशों के साथ विद्युत व्यापार को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ विद्युत व्यापार के लाभ तथा हानियों पर कोई अनुसंधान करवाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत का राष्ट्रीय ग्रिड सीमा पार विभिन्न पारेषण इंटर-कनेक्शनों के जरिए बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के विद्युत ग्रिड से जुड़ा हुआ है।

भारत ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ समझौता-ज्ञापन/विद्युत व्यापार करार हस्ताक्षरित किए हैं। भारत सहित सभी सार्क देशों द्वारा सार्क फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर एनर्जी को-ऑपरेशन (इलेक्ट्रिसिटी) भी हस्ताक्षरित किया गया है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ विद्युत व्यापार की लाभ एवं हानियों के संबंध में इस तरह का कोई विशिष्ट अनुसंधान नहीं किया है। तथापि, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में विद्युत के महत्व को मानते हुए और क्षेत्र में जीवनस्तर में सुधार करने के लिए सार्क देशों ने पारस्परिक लाभ के लिए सार्क फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर एनर्जी को-ऑपरेशन (इलेक्ट्रिसिटी) हस्ताक्षरित किया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1332

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत खरीद लागत

1332. श्री आर. गोपालकृष्णनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोयले के उच्च मूल्य और स्वच्छ ऊर्जा उपकर के कारण विद्युत खरीद लागतों में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप 'उदय' योजना के अंतर्गत प्रत्याशित लाभ समाप्त हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : किसी ताप विद्युत स्टेशन में उत्पादन की लागत, ईंधन की किस्म, ईंधन के स्रोत, संयंत्र की स्थान स्थिति, यूनिट का आकार, संयंत्र की प्रौद्योगिकी और संयंत्र दक्षता जैसे विभिन्न प्राचलों पर निर्भर करते हुए अलग-अलग होती है। ऊर्जा प्रभारों में वृद्धि ईंधन कीमत की वृद्धि से सीधे आनुपातिक होती है। इसके अतिरक्त, विद्युत प्रापण लागत स्टेशन से लाभार्थियों/डिस्कॉम द्वारा शेड्यूल्ड ऊर्जा पर निर्भर करती है।

(ग) : सामान्यतः कोयले की कीमतों में अंतर समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ईंधन कीमत समायोजन फार्मूले द्वारा पास-थ्रू है। इसलिए जहाँ तक उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का संबंध है, कोयले की कीमतों में अंतर का डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन पर कोई प्रभाव होने की संभावना नहीं है।

(घ) : उपयुक्त नीतिगत ढांचे और कार्यक्रमों के जरिए सरकार सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (एटीएंडसी) में कमी करने की दृष्टि से उत्पादन, पारेषण और वितरण में दक्षता को प्रोत्साहित करती है तथा वितरण और पारेषण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण की भी सहायता करती है। प्रतिस्पर्द्धी बोली के जरिए प्रशुल्क का पता लगाने पर सरकार द्वारा बल दिए जाने के साथ-साथ ये उपाय प्रशुल्क दरों को कम करने में योगदान करते हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1335

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

डिस्कॉम्स का कार्य निष्पादन

1335. श्री प्रताप सिम्हाः

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत वितरण कंपनियों के पुनरुद्धार के लक्ष्य से निर्मित 'उदय' योजना के वितरण कंपनियों के कार्यनिष्पादन पर कोई सकारात्मक प्रभाव सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुमानित लक्ष्यों और अब तक प्राप्त परिणामों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी, हां। सरकार द्वारा उदय की शुरूआत विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय टर्नअराउंड के लिए की गई है। उदय के तहत किए गए उपायों का लक्ष्य ब्याज-भार को कम करना और प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार लाना है। वित्तीय टर्नअराउंड के स्तर पर प्रतिभागी राज्यों ने पहले ही लगभग 1.83 लाख करोड़ रुपए के ब्रॉड जारी कर दिए हैं जो उदय के तहत किए गए समझौता-ज्ञापन (एमओयू) में परिकल्पित ऋण का 84% है। इसका ब्यौरा **अनुबंध** में है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1335 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

जारी किए जाने वाले उदय बांड का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	30.09.2015 की स्थिति के अनुसार डिस्कॉम देयताएं (पुनर्गठित होने वाले)	आज की तारीख तक राज्य द्वारा जारी किए गए कुल बांड	आज की तारीख तक डिस्कॉम द्वारा जारी किए गए कुल बांड	आज की तारीख तक उदय के अंतर्गत जारी किए गए कुल बांड
1	2	3	4	5	6
1	राजस्थान	80530	58157	12368	70525
2	उत्तर प्रदेश	53935	39133.29	10714	49847
3	छत्तीसगढ़	1740	870	0	870
4	झारखंड	6718	6136	0	6136
5	पंजाब	20838	15629	0	15629
6	बिहार	3109	2332	0	2332
7	जम्मू व कश्मीर	3538	3538	0	3538
8	हरियाणा	34602	25951	0	25951
9	आंध्र प्रदेश	11008	8256	0	8256
10	मध्य प्रदेश	4539	0	0	0
11	महाराष्ट्र	6613	0	0	0
कुल		227170	160002.29	23082	183084.29

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1339

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

शहरों में स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं

1339. श्रीमती एम. वसन्तीः

श्री जे.जे.टी. नट्टर्जीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन के अंतर्गत विभिन्न नगरों में स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं की स्थापना की गई है/किए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु किन्हीं शहरों का चयन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कार्यान्वित की जा रही स्मार्ट ग्रिड मिशन की योजना तैयार करने और निगरानी करने के लिए कोई तन्त्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं से बिजली के बिलों में कमी आएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हाँ, भारत सरकार द्वारा मार्च, 2015 में 'नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम)' चालू किया गया है। अब तक, नेशनल स्मार्ट गरिड मिशन (एनएसजीएम) के अंतर्गत 4 शहरों के लिए स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। जिसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

क्रम सं.	**राज्य/शहर**	**अनुमानित परियोजना लागत (रूपए करोड़ में)**
1.	अमरावती, महाराष्ट्र	90.05
2.	कांग्रेस नगर (नागपुर), महाराष्ट्र	139.15
3.	चंडीगढ़	28.58
4.	कानपुर, उत्तर प्रदेश	319.57

(ग) : विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने देश में कार्यान्वित की जा रही स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं की आयोजना एवं निगरानी के लिए एनएसजीएम की स्थापना की है। एनएसजीएम की तकनीकी सब्सिडी एवं अधिकार प्राप्त समिति स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं की समीक्षा विद्युत मंत्रालय में भी की जाती है।

(घ) : स्मार्ट ग्रिडों का मुख्य उद्देश्य विद्युत नेटवर्कों की विश्वसनीयता में सुधार लाना और वितरित उत्पादन के माध्यम से ग्रिड को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश के लिए उत्तरदायी बनाना है। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटरों सहित बटी हुई दक्षताओं से उपभोक्ता अपनी विद्युत खपत का बेहतर तरीके से प्रबंधन करने में समर्थ होंगे। जिसमें बिजली के बिलों में कमी आ सकती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1342

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता

1342. कुँवर हरिवंश सिंहः
श्री एस.आर. विजय कुमारः
श्री टी. राधाकृष्णनः
डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री विद्युत वरण महतोः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में वर्ष 2009 के बाद स्थापित विद्युत संयंत्र अपनी उपयोगिता क्षमता के 50% से कम पर चल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उच्च कोयला कीमत और स्वच्छ ऊर्जा उपकर का विद्युत संयंत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में विद्युत संयंत्रों की कम क्षमता उपयोगिता हेतु अन्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने विद्युत की लागत कम करने के लिए कदम उठाए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विद्युत संयंत्रों की पूर्ण क्षमता उपयोगिता स्तर हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : अवधि (अप्रैल-दिसंबर, 2016) के लिए ताप विद्युत इकाइयों का वर्तमान संयंत्र भारकारक (पीएलएफ) 59.64% रहा है।

(ख) : किसी ताप विद्युत स्टेशन में उत्पादन की लागत अलग-अलग होती है और ईंधन की किस्म, ईंधन के स्रोत, संयंत्र की स्थान स्थिति, यूनिट का आकार, संयंत्र की प्रौद्योगिकी, दक्षता जैसे विभिन्न प्राचलों पर निर्भर करती है। ऊर्जा प्रभारों में वृद्धि ईंधन कीमत की वृद्धि के लिए सीधे आनुपातिक होती है।

(ग) : संयंत्रों के कम उपयोग के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि सहित नवीकरणीय का बड़े पैमाने पर विस्तार, दक्षता उपायों के कारण ऊर्जा का संरक्षण, गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए गैस की कम उपलब्धता शामिल है।

(घ) : उपयुक्त नीतिगत ढांचे और कार्यक्रमों के जरिए सरकार सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (एटीएंडसी) में कमी करने की दृष्टि से वितरण और पारेषण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण की सहायता करने के साथ-साथ उत्पादन, पारेषण और वितरण कारोबार में दक्षता को प्रोत्साहित करती है। प्रतिस्पर्द्धी बोली के जरिए प्रशुल्क का पता लगाने पर सरकार द्वारा बल दिए जाने के साथ-साथ ये उपाय प्रशुल्क दरों को कम करने में योगदान करते हैं।

(ङ) : विद्युत उत्पादन क्षमताओं की मूल क्षमता का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(i) देश में स्ट्रैंडेड गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता को पुनः चालू करने और उपयोग में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए पीएसडीएफ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) की सहायता से एक स्कीम संस्वीकृत की है। इस स्कीम में, रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए, स्ट्रैंडेड गैस आधारित संयंत्रों तथा घरेलू गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों को आयातित पुनःगैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की आपूर्ति किए जाने की परिकल्पना है।

(ii) राज्य डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक एवं वित्तीय दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय टर्न-अराउंड तथा प्रचालनात्मक सुधार की एक स्कीम उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) अनुमोदित की है, जिससे वे उत्पादकों से और अधिक विद्युत की खरीद कर पाएंगे और इस प्रकार उनके संयंत्र भार कारक में वृद्धि होगी।

(iii) पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने तथा लाइन की हानियों को कम करने के लिए उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण और कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत कार्यान्वयन।

(iv) राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से की गई ''सभी के लिए 24x7 विद्युत'' पहल से, विद्युत के लिए पहुंच में वृद्धि होगी तथा तदनुसार, विद्युत की मांग में भी वृद्धि होगी जिससे विद्युत उत्पादन के उपयोग में वृद्धि होगी। 36 में से 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए योजनाएं पहले ही तैयार कर ली गई हैं तथा कार्यान्वयनाधीन है।

(v) 12वीं योजना अवधि के दौरान, सितंबर, 2016 तक कुल 3000 मेगावाट की अकुशल ताप विद्युत उत्पादन क्षमता को बंद कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, और अधिक दक्ष संयंत्रों का बेहतर उपयोग होगा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1344

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

निजी विद्युत वितरण कंपनियों से देय राशि की वसूली

1344. श्री प्रतापराव जाधवः

श्री लक्ष्मण गिलुवाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ निजी विद्युत वितरण कंपनियों की ओर राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की बकाया धनराशि बाकी है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी डिस्कॉम-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन निजी डिस्कॉम्स से उक्त बकाया राशि की वसूली करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इस बकाया राशि की ब्याज सहित वसूली किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : इस समय, एनटीपीसी का ऊर्जा बिलों के लिए बीएसईएस यमुना पावर लि. (बीवाईपीएल), एक प्राइवेट डिस्काम्स दिल्ली पर 122.77 करोड़ रूपए की राशि बकाया है जो 60 दिन से अधिक है। उपरोक्त बकाया राशि की वसूली के लिए एनटीपीसी बीवाईपीएल के साथ उसके लिए अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है। एनटीपीसी उपरोक्त बकाया राशि पर 1.5% प्रतिमाह की दर से विलंब भुगतान अधिभार वसूल कर रहा है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1345

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

जलविद्युत संयंत्र

1345. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री आधलराव पाटील शिवाजीरावः

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडेः

श्री विनायक भाऊराव राऊतः

श्री आनंदराव अडसुलः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार बड़े विद्युत संयंत्रों को नवीकरणीय परियोजनाओं के रूप में पुनःवर्गीकृत करने पर विचार कर रही है और इस कदम से देश में वर्ष 2022 तक 230 गीगावाट क्षमता की स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार का जलविद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को त्वरण प्रदान करने के लिए तथा सभी रुकी परियोजनाओं को पुनः शुरू करने के लिए इसे सहायता प्रदान करने का विचार है चूंकि यह क्षेत्र अगले सौ वर्ष की अवधि तक संवहनीय गुणवत्ता वाली विद्युत शक्ति उपलब्ध करा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं को सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की तरह नवीकरण ऊर्जा श्रेणी में डालने का विचार कर रहा है जिससे इन तीनों प्रकार की परियोजनाओं से कर-दर बहुत कम कर देने की संभावना होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से और अधिक विद्युत का उत्पादन करने के लिए निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं के लिए रियायत की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : सरकार उपयुक्त हस्तक्षेपों के जरिए जल विद्युत प्रशुल्क को कम करके जल विद्युत को बढ़ावा देने और इसकी बिक्रयेता में सुधार लाने के मुद्दे से अवगत है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी जिसने पणधारकों से परामर्श किए थे और संपूर्ण विश्व में जल विद्युत में वैश्विक परिपाटियों की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। इस समिति की सिफारिशें

7-8 अक्तूबर, 2016 को वड़ोदरा में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई थीं और भागीदार राज्यों द्वारा सहमत संकल्प नीचे दिए गए हैं:

- सभी जल विद्युत (आकार का ध्यान रखे बिना) को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में घोषित करना जो निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगी:

  (i) सभी जल विद्युत को नवीकरणीय क्रय बाध्यता के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
  (ii) सभी जल विद्युत प्राथमिकता प्रेषण के लिए अर्हता प्राप्त करेंगी।

- नवीकरणीय ऊर्जा लाभ 100 मेगावाट तक की परियोजनाओं को प्रदान करना (पूर्व की 25 मेगावाट की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर)।

- कोयला उप-कर से 100 मेगावाट से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं को कम लागत ऋण देना।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1366

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में सरकारी और निजी निवेश

1366. डॉ. उदित राजः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान विद्युत क्षेत्र में सरकारी और निजी निवेश की राशि कितनी है;

(ख) क्या अगले दस वर्षों के दौरान देश की अतिरिक्त विद्युत आवश्यकता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस प्रयोजन हेतु पहचान किए गए संसाधन क्या हैं; और

(घ) सभी को दिनभर विद्युत प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विद्युत क्षेत्र में सरकारी और निजी निवेश को बढ़ाने के लिए संघ सरकार द्वारा प्रस्तावित कदम क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 11वीं और 12वीं योजना अवधियों के दौरान विद्युत क्षेत्र (नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर) में किए गए सार्वजनिक और निजी निवेश की राशि निम्नवत हैः

रु. करोड़

क्षेत्र	**11वीं योजना**	**12वीं योजना**
सार्वजनिक	3,92,110	6,98,191
निजी	3,01,370	4,42,588
कुल	**6,93,480**	**11,40,779**

(ख) और (ग) : देश की विद्युत मांग का आवधिक रूप से मूल्यांकन विगत वर्षों में प्रणाली पर वास्तविक आकस्मिक विद्युत मांग, सरकार की विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों, भविष्य के लिए नियोजित विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों आदि को ध्यान में रखते हुए इलैक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण समिति (ईपीएससी) द्वारा किया जाता है। नवीनतम विद्युत मांग पूर्वानुमान रिपोर्ट भारत का 19वां इलैक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किए गए 19वें इलैक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) के अनुसार, वर्ष 2016-17, 2021-22 और 2026-27 के लिए देश की विद्युत ऊर्जा मांग (ईईआर) तथा व्यस्ततम मांग नीचे दी गई हैः

वर्ष	**वैद्युत ऊर्जा मांग (एमयू)**	**व्यस्ततम मांग (मेगावाट)**
2016-17	1160429	161834
2021-22	1566023	225751
2026-27	2047434	298774

51218.59 मेगावाट की ताप उत्पादन क्षमता, 12,217.5 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन क्षमता तथा 7700 मेगावाट की न्यूक्लियर उत्पादन क्षमता निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, 44100 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता को भी चिन्हित किया गया है जिसके लिए सरकार द्वारा "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175 जीडब्ल्यू क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(घ) : केंद्र सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं:

(i) भारत सरकार ने उत्पादन तथा पारेषण में निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रावधानों के साथ वर्ष 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा दिनांक 28.01.2016 को संशोधित प्रशुल्क नीति अधिसूचित की है।

(ii) विद्युत उत्पादन (परमाणु ऊर्जा के सिवाय) पारेषण, वितरण एवं ट्रेडिंग की परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी जाती है। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत विद्युत एक्सचेंजों में 49% तक की एफडीआई की अनुमति दी जाती है।

(iii) सरकार ने डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक एवं वित्तीय प्रतिवर्तन के लिए दिनांक 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1368

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि

1368. श्री फिरोज वरुण गांधीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार गैर-नवीकरणीय ऊर्जा की उत्पादन क्षमता वृद्धि सहित प्रतिशत वृद्धि कितनी है;

(ख) राज्य-वार, पूर्व स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता के विरुद्ध इस क्षमता वृद्धि की उपयोगिता का ब्यौरा क्या है;

(ग) अतिरिक्त ऊर्जा की गैर-उपयोगिता की स्थिति में इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस नई विद्युत उत्पादन क्षमता के प्रयोग से संबंधित मामलों को राज्यों के साथ परामर्श में संघ सरकार द्वारा हल करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विगत तीन वर्षों के दौरान वृद्धि की प्रतिशतता के ब्यौरे सहित नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में की गई क्षमता अभिवृद्धि के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ख) : पूर्व में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता की तुलना में क्षमता अभिवृद्धि में बढ़ोत्तरी के उपयोग का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) और (घ) : अतिरिक्त विद्युत का उपयोग न किए जाने का मुख्य कारण यह है कि उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के विकास की दर विद्युत मांग के विकास की दर से अधिक हो गई है। विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) द्वारा विद्युत के क्रय को बढ़ाकर वर्तमान उत्पादन क्षमता के उपयोग में सुधार लानेने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) भारत सरकार ने सभी परिवारों/घरों, औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं तथा कृषि उपभोक्ता को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए सभी के लिए 24 घंटे बिजली (पीएफए) उपलब्ध करवाने के लिए स्थल विशिष्ट दस्तावेजों को तैयारी के लिए राज्य सरकारों के साथ संयुक्त पहल की है।

(ii) "मेक इन इंडिया" पहल निवेश को सुगम बनाने तथा सर्वोत्तम विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पहल से विनिर्माण क्षेत्र से ऊर्जा मांग को प्रोत्साहन मिल सकता है तथा विद्युत उत्पादन क्षमता का अधिक उपयोग हो सकता है।

(iii) सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय प्रतिवर्तन के लिए दिनांक 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।

(iv) भारत सरकार द्वारा उप-पारेशण और वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण के लिए तथा क्रमश: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त और विश्वस्तरीय विद्युत आपूर्ति देने तथा लाइन की हानियों को कम करने के लिए कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए दो नई स्कीमों अर्थात् दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) शुरू की गई है।

(v) देश में स्ट्रैंडेड गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग का पुनरुद्धार एवं सुधार करने के लिए सरकार ने गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए एक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में स्ट्रैंडेड गैस आधारित संयंत्रों तथा घरेलू गैस प्राप्त करने वाले संयंत्रों को आयातित स्पॉट रिगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (आरएलएनजी) की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।

(vi) देश में वास्तविक समय के आधार पर बिजली की कीमत और उपलब्धता से संबंधित वास्तविक समय की सूचना उपलब्ध करवाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन "विद्युत प्रवाह" की शुरुआत की गई है। इस पहल से विद्युत की अधिप्राप्ति के मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार होने की संभावना है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1368 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की राज्य-वार अखिल भारतीय संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता

(मेगावाट में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13	2013-14	वृद्धि %	2014-15	वृद्धि %	2015-16	वृद्धि %
उत्तरी क्षेत्र (एनआर)							
चंडीगढ़	0.00	0.00	0	0.00	0.0	0.00	0.0
दिल्ली	1793.40	2043.40	13.9	2293.40	12.2	2740.40	19.5
हरियाणा	5793.43	5918.43	2.2	5793.43	-2.1	6233.51	7.6
हिमाचल प्रदेश	2141.73	2141.73	0.0	2141.73	0.0	2141.60	0.0
जम्मू व कश्मीर	963.94	963.94	0.0	963.94	0.0	1405.00	45.8
पंजाब	5385.23	6210.23	15.3	7445.23	19.9	9899.23	33.0
राजस्थान	6636.79	8206.76	23.7	9106.76	11.0	9977.76	9.6
उत्तर प्रदेश	8297.10	8297.10	0.0	8297.10	0.0	11772.10	41.9
उत्तराखंड	1652.15	1652.15	0.0	1652.15	0.0	2081.15	26.0
केंद्रीय क्षेत्र (एनआर)	20496.26	21859.27	6.7	22595.28	3.4	22995.28	1.8
पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर)							
छत्तीसगढ़	4418.00	7978.00	80.6	11223.00	40.7	13528.00	20.5
गुजरात	18434.20	19585.20	6.2	20611.30	5.2	20765.82	0.7
मध्य प्रदेश	5798.64	8611.16	48.5	12323.66	43.1	11533.66	-6.4
महाराष्ट्र	19849.83	22609.84	13.9	25539.84	13.0	26949.84	5.5
दमन व दीव	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
दादरा व नागर हवेली	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
गोवा	48.00	48.00	0.0	48.00	0.0	48.00	0.0
केंद्रीय क्षेत्र (डब्ल्यूआर)	18233.59	18233.59	0.0	18233.59	0.0	19393.59	6.4
दक्षिणी क्षेत्र (एसआर)							
आंध्र प्रदेश	12684.22	12984.22	2.4	10615.12	NA	11034.40	3.9
तेलंगाना	-	-	-	4779.10	NA	8929.83	86.9
कर्नाटक	8614.22	8614.22	0.0	8614.22	0.0	10114.22	17.4
केरल	2311.94	2311.94	0.0	2311.94	0.0	2290.10	-0.9
तमिलनाडु	8145.16	8940.16	9.8	9540.16	6.7	10741.04	12.6
पुडुचेरी	32.50	32.50	0.0	32.50	0.0	32.50	0.0
लक्षद्वीप	9.97	9.97	0.0	9.97	0.0	0.00	-100.0
केंद्रीय क्षेत्र (एसआर)	10019.58	10519.58	5.0	12269.58	16.6	12769.58	4.1
पूर्वी क्षेत्र (ईआर)							
बिहार	430.00	210.00	-51.2	210.00	0.0	329.22	56.8
डीवीसी	7483.20	7483.20	0.0	8083.20	8.0	9183.20	13.6
झारखंड	2220.00	2220.00	0.0	2220.00	0.0	2220.00	0.0
ओडिशा	5231.93	5931.93	13.4	7131.93	20.2	7481.92	4.9
पश्चिम बंगाल	7400.57	7650.58	3.4	8250.58	7.8	8578.38	4.0
सिक्किम	5.00	104.00	1980.0	104.00	0.0	195.00	87.5
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	60.05	60.05	0.0	60.05	0.0	40.05	-33.3
केंद्रीय क्षेत्र (ईआर)	8579.00	9482.00	10.5	10337.00	9.0	10667.00	3.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)							
अरुणाचल प्रदेश	15.88	15.88	0.0	15.88	0.0	0.00	-100.0
असम	481.39	481.39	0.0	481.39	0.0	460.70	-4.3
मणिपुर	45.41	45.41	0.0	45.41	0.0	36.00	-20.7
मेघालय	284.05	284.05	0.0	284.05	0.0	282.00	-0.7
मिजोरम	51.86	51.86	0.0	51.86	0.0	0.00	-100.0
नागालैंड	2.00	2.00	0.0	2.00	0.0	0.00	-100.0
त्रिपुरा	153.35	174.35	13.7	174.35	0.0	169.50	-2.8
केंद्रीय क्षेत्र (एनईआर)	1598.30	1598.30	0.0	2052.50	28.4	2338.10	13.9

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1368 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की पूर्ववर्ती संस्थापित क्षमता की तुलना में क्षमता अभिवृद्धि का राज्य-वार अखिल भारतीय उपयोग

(जीडब्लयूएच)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13	2013-14	वृद्धि %	2014-15	वृद्धि %	2015-16	वृद्धि %
उत्तरी क्षेत्र (एनआर)							
चंडीगढ़	0.00	0.00	0	0.00	0.0	0.00	0.0
दिल्ली	6113.50	4362.22	-28.6	4994.60	14.5	3582.33	-28.3
हरियाणा	21303.48	25462.39	19.5	26339.95	3.4	21751.16	-17.4
हिमाचल प्रदेश	8306.20	9244.95	11.3	8720.76	-5.7	8991.83	3.1
जम्मू व कश्मीर	3985.98	3846.37	-3.5	4216.66	9.6	4371.75	3.7
पंजाब	26623.71	29017.72	9.0	31005.32	6.8	31728.43	2.3
राजस्थान	32825.12	38373.25	16.9	48222.90	25.7	48335.59	0.2
उत्तर प्रदेश	37191.14	44743.30	20.3	46012.38	2.8	45892.12	-0.3
उत्तराखंड	6555.25	4776.24	-27.1	6015.30	25.9	6874.88	14.3
केंद्रीय क्षेत्र (एनआर)	118291.91	118677.89	0.3	119311.59	0.5	120475.43	1.0
पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर)							
छत्तीसगढ़	25072.60	27480.37	9.6	34635.64	26.0	43248.18	24.9
गुजरात	77818.69	73231.51	-5.9	82262.24	12.3	85410.16	3.8
मध्य प्रदेश	22160.87	28317.06	27.8	43657.67	54.2	62826.06	43.9
महाराष्ट्र	78285.44	89004.52	13.7	100959.50	13.4	109594.04	8.6
दमन व दीव	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
दादरा व नागर हवेली	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
गोवा	245.41	241.32	-1.7	12.61	-94.8	0.00	-100.0
केंद्रीय क्षेत्र (डब्ल्यूआर)	98195.82	96633.05	-1.6	97779.44	1.2	98214.79	0.4
दक्षिणी क्षेत्र (एसआर)							
आंध्र प्रदेश	53496.04	50790.43	-5.1	30729.84	NA	44198.68	43.8
तेलंगाना	-	-	-	20460.79	NA	16617.60	-18.8
कर्नाटक	38532.18	42684.83	10.8	43555.05	2.0	39777.01	-8.7
केरल	5320.96	8281.27	55.6	7215.05	-12.9	6510.59	-9.8
तमिलनाडु	31472.21	37647.92	19.6	41943.99	11.4	41795.89	-0.4
पुडुचेरी	230.76	256.97	11.4	102.14	-60.3	227.59	122.8
लक्षद्वीप	46.01	45.55	-1.0	45.75	0.4	50.24	9.8
केंद्रीय क्षेत्र (एसआर)	62698.47	66501.09	6.1	72222.43	8.6	77146.63	6.8
पूर्वी क्षेत्र (ईआर)							
बिहार	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
डीवीसी	31036.63	34443.71	11.0	32235.19	-6.4	35236.10	9.3
झारखंड	6760.65	8016.76	18.6	7937.80	-1.0	8727.49	9.9
ओडिशा	16293.81	19667.21	20.7	22939.27	16.6	28270.60	23.2
पश्चिम बंगाल	35195.39	32605.19	-7.4	35968.90	10.3	34052.58	-5.3
सिक्किम	0.00	291.42	NA	430.86	47.8	496.49	15.2
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	240.21	256.06	6.6	276.25	7.9	277.65	0.5
केंद्रीय क्षेत्र (ईआर)	54262.65	56648.51	4.4	62442.35	10.2	64473.79	3.3
पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)							
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
असम	1804.57	1845.02	2.2	1929.34	4.6	1864.38	-3.4
मणिपुर	0.99	0.00	-100.0	0.00	0.0	0.00	0.0
मेघालय	609.89	802.20	31.5	775.29	-3.4	860.93	11.0
मिजोरम	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
नागालैंड	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
त्रिपुरा	763.84	728.25	-4.7	726.46	-0.2	739.21	1.8
केंद्रीय क्षेत्र (एनईआर)	5299.60	6204.34	17.1	7203.41	16.1	9182.99	27.5

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1376

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

आरईसी/पीएफसी द्वारा वित्तपोषण

1376. श्री बी.वी. नाईकः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) और विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) लिमिटेड, राज्य विद्युत बोर्डों और विद्युत वितरण कंपनियों को विद्युत मीटरों की खरीद के लिए वित्त प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य विद्युत बोर्डो/वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराए गए वित्त का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या निगरानी तंत्र बनाया गया है कि आरईसी और पीएफसी द्वारा जारी राशि का समुचित उपयोग है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आरईसी) और पावर फाइनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड ऊर्जा मीटरों की खरीद सहित विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्य विद्युत बोर्डों और वितरण कंपनियों को ऋण प्रदान कर रहे हैं। ब्यौरे **अनुबंध-। और ।।** में दिए गए हैं।

(ग) : आरईसी के कार्मिक पूरे देश में अपने 22 परियोजना कार्यालयों/उप कार्यालयों से नियमित रूप से वितरण स्कीमों की प्रगति की मॉनीटरिंग कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियों का उपयोग समुचित रूप से हो रहा है। पीएफसी का संवितरण तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि ऋण लेने वाले द्वारा सामग्री की प्राप्ति पर निधियां जारी की जाएं।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1376 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

2013-2016 के दौरान वितरण पोर्टफोलियो के अंतर्गत आरईसी द्वारा विभिन्न राज्यों को किया गया संवितरण	
राज्य का नाम	**संवितरण (रुपए करोड़)**
आंध्र प्रदेश	6487.26
बिहार	147.65
छत्तीसगढ़	571.21
हरियाणा	3998.61
हिमाचल प्रदेश	422.93
जम्मू व कश्मीर	80.01
कर्नाटक	5909.12
केरल	1425.31
मध्य प्रदेश	17.52
महाराष्ट्र	4660.86
मणिपुर	39.88
ओडिशा	197.72
पंजाब	2133.02
राजस्थान	4597.68
तमिलनाडु व पुडुचेरी	3729.13
तेलंगाना	4065.64
उत्तर प्रदेश	3310.01
उत्तराखंड	665.51
पश्चिम बंगाल	2679.49
पुडुचेरी-संघ राज्य क्षेत्र	63.58

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 09.02.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1376 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

2013-2016 के दौरान वितरण पोर्टफोलियो के अंतर्गत पीएफसी द्वारा विभिन्न राज्यों को किया गया संवितरण		
क्रम सं.	**राज्य**	**संवितरण (करोड़ रुपए में)**
1	आंध्र प्रदेश	75
2	बिहार	2,194
3	छत्तीसगढ़	1,730
4	गोवा	1,432
5	हिमाचल प्रदेश	61
6	कर्नाटक	440
7	केरल	148
8	मध्य प्रदेश	209
9	महाराष्ट्र	943
10	मिजोरम	24
11	पुडुचेरी	64
12	पंजाब	-
13	राजस्थान	3,988
14	तमिलनाडु	68
15	उत्तर प्रदेश	1,298
16	उत्तराखंड	19

****